कार्य याजेना – 2002–10

जिला परियाजेना समन्वयक

लोक जुम्बिश परियोजना

जिला–उदयपुर (राज.)

"सर्व शिक्षा अभियान"

कार्य योजना – 2003 – 10

अध्याय – 1	जिले का परिदृश्य
अध्याय – 2	जिले का शैक्षणिक परिदृश्य
अध्याय – 3	नियोजन प्रक्रिया
अध्याय – 4	सर्व शिक्षा अभियान–लक्ष्य एवं उदेश्य
अध्याय – 5	पहुंच एवं ठहराव
अध्याय – 6	गुणवत्ता शिक्षा
अध्याय – 7	विशिष्ट फोकस ग्रुप
अध्याय – 8	अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रबोधन
अध्याय – 9	प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास
अध्याय – 10	निर्माण कार्य
अध्याय – 11	योजना लागत
अध्याय – 12	परियोजना की क्रियान्विति
अध्याय – 13	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट – 2003–04

"सर्व शिक्षा अभियान" जिला–उदयपुर

अध्याय – 1

जिले का परिदृश्य

1.1 परिचय – इतिहास

मेवाड़ राज्य (प्राचीन मेदपाठ) क्षेत्र जिसकी राजधानी उदयपुर थी, की पुरातनता अति प्राचीन है। आहड़ व गिलूण्ड जैसे स्थानों में पुरातत्व खुदाई ने सिद्ध कर दिया कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में काफी समृद्ध था।

उदयपुर (मेवाड़) राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा में अपना विशेष स्थान रखता है, जो गुहिल राजपूतों की अधीनता में था। जिसमें राणा कुम्भा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया। कला के मन्दिरों के नमूनों में आहड़ सरनेश्वर नागदा तथा एकलिंग जी का मन्दिर विद्यमान है।

उदयपुर से मात्र 21 किमी. उत्तर दिशा में स्थित एक छोटा सा ग्राम एकलिंग जी है। जिसको कैलाशपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां राणा रायमल द्वारा निर्मित मन्दिर काफी दर्शनीय है। यह असामान्य ढंग से निर्मित है जिसमें दो मंजिला ड्योढ़ी तथा यज्ञ मण्ड़प है। मन्दिर में काले संगमरमर की बनी भगवान एकलिंग जी की चार मुखों वाली मूर्ति है। इस मूर्ति के सामने श्रद्धानत अवस्था में महाराणा भीमसिंह की प्रतिमा बनी हुई है। इसमें भगवान विष्णु का मन्दिर है। जिसे राणा कुम्भा ने बनाया है। यहां नाथ सम्प्रदाय का मन्दिर है। जिसमें भगवान विष्णु का सप्तसुण्ड़ रूपी ऐरावत गजराज की मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी है। यहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते है। इस मन्दिर को उदयपुर के महाराणा के इष्टदेव का मन्दिर कहा जाता है।

उदयपुर शहर का नाम राणा उदय सिंह के नाम पर रखा गया है। ये राणा उदय सिंह वहीं थे जिनको वफादार पन्ना धाय ने अपने लाल का बलिदान देकर बचाया था। पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर शहर को "झीलों की नगरी " के नाम से भी जाना जाता है। पिछौला झील के किनारे सुन्दर राजमहल स्थित है के जगनिवास जगमन्दिर तथा पांच सितारा होटल, लेक पैलेस विश्व के पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र है। इसके साथ ही स्थापत्य कला की भव्यता के

नमूने तथा मनुष्य द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलों में जयसमन्द, राजसमन्द तथा उदयसागर के रूप में स्थित है। इसी कारण इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है तथा इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल सहेलियों की बाड़ी, मोती मगरी, सुखाड़िया सर्किल, जगदीश मन्दिर, गुलाब बाग तथा लोक कला मण्डल है। लोक कला मण्डल के कलाकारों ने भीलों का प्रमुख खेल गंवरी को मूर्त को रूप देकर ख्याती पाई है। ऋषभदेव, अड़िण्दा, पार्श्वनाथ आदि प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। शिक्षा, शौर्य, एवं भक्ति की पावन नगरी शिक्षाविदों से अछूती नहीं है। यहां के शिक्षाविदों के शैक्षिक चिन्तन ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर विश्व को लाभान्वित किया है। जिले के प्रमुख शिक्षाविद् ड़ा.डी.एस. कोठारी स्वर्गीय वी.पी. जोशी तथा श्री मान जगत मेहता रहे थे। भारत के अर्जुन-अन्तर्राष्ट्रीय तीरन्दाज लिम्बाराम भी इस जनजाति क्षेत्र के निवासी है।

भौगोलिक स्थिति :–

उदयपुर जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली अंचल में स्थित है। इसका स्वरूप अण्डाकार है। जिसकी उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ी पट्टी है। यह 23.46 डिग्री तथा 26.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूर्वी डूंगरपुर व बांसवाडा पूर्व में भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ पश्चिम में पाली व सिरोही सीमाओं से घिरा है। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित गाँव में डैया, अम्बासा, कोटड़ा आज भी गुजरात सीमा से सटे होकर पूर्ण रूप से जनजाति क्षेत्र है, जिसमें गुजरात संस्कृति का समावेश है।

जलवायु

जिले की जलवायु कुल गिलाकर सम एवं स्वास्थ्यवर्द्धक है तथा मौसमी परिवर्तन बहुत कम नजर आते हैं। जनवरी सबसे ठण्ड़ा तथा मई–जून सबसे अधिक गर्मी के महिनें हैं। मौसम केन्द्र डबोक (2000) के अनुसार जिले का अधिकतम् तापमान 43.80 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम् तापमान 2.4 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा औसत 25.5 डिग्री सेन्टीग्रेड, आर्द्रता 47 प्रतिशत है।

आधारभूत सुविधाएँ

1. पानी – पानी जिले में मुख्यतया मानसून पर आधारित वर्षा के अनुसार कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ, नलकूप, झीलें, एनिकट, बॉध पर आधारित है। निरन्तर विगत दो–तीन सालों से कम बारीश होने से एवं अधिक खपत होने के कारण भूमिगत जल का स्तर काफी गिर गया है।

2. बिजली –

उदयपुर जिले में कुल 1950 गाँव एवं पाँच कस्बों में कुल 1955 गाँव विद्युतीकृत हैं।

मुख्यरूप से जल विद्युत शक्ति की 132 के.वी. लाईन के माध्यम से बिजली प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अणुशक्ति केन्द्र रावत भाटा आदि से प्राप्त हो रही है। उदयपुर जिले के कुछ जनजातीय क्षेत्रें में बिजली सौर ऊर्जा भी उपयोग में ली जाती है।

3. परिवहन सुविधा –

जिले का देश के समस्त भागों से सड़क रेल मार्ग एवं वायु प्रबन्ध द्वारा जुड़ा हुआ है तथा ग्रामीण अंचल में सभी पंचायत समिति मुख्यालय पक्की सड़क से जुड़े हैं तथा वर्तमान में प्रधानमन्त्री सड़क योजना द्वारा प्रत्येक पंचायत को पक्की सड़क द्वारा जोड़ा जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ

जिले में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सरकारी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में जिले में 20 अस्पताल, 20 राजकीय औषधालय, 74 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसूति गृह, 10 मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र एवं टी.बी. अस्पताल तथा एक सेन्टोरिया अस्पताल उपलब्ध हैं। इसके अलावा निजी अस्पताल एवं क्लिनिक है।

उदयपुर जिला – सांख्यिकी में

जिला का क्षेत्रफल : 12596 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या :

(2001 की जनगणना की अनुसार समग्र जनसंख्या)

पुरूष	स्त्रिया	कुल जनसंख्या
1335017	1297193	2632210

जिले की राज्य की जनसंख्या के अनुपात :

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (सैकड़ों में)		राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत
	राजस्थान	उदयपुर	
1961	201566	9499	4.71 प्रतिशत
1971	257658	12471	4.81 प्रतिशत
1981	342619	16771	4.81 प्रतिशत

1991	438806	20863	4.74 प्रतिशत
2001	564731	26322	4.66 प्रतिशत

राज्य की तुलना में जिले की ग्रामीण जनसंख्या (सैकड़ो में) :

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (सैकड़ों में)		राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत
	राजस्थान	उदयपुर	
1961	169741	8232	4.89 प्रतिशत
1971	212229	10671	5.03 प्रतिशत
1981	270514	13978	5.17 प्रतिशत
1991	338405	17212	5.09 प्रतिशत
2001	435517	21715	4.98 प्रतिशत

राज्य की तुलना में जिले की शहरी जनसंख्या (सैकड़ो में) :

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (सैकड़ों में)		राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत
	राजस्थान	उदयपुर	
1961	32816	1267	3.86 प्रतिशत
1971	45438	1800	3.96 प्रतिशत
1981	72105	2793	3.87 प्रतिशत
1991	100401	3651	3.64 प्रतिशत
2001	129214	4607	3.56 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जिले की जनसंख्या जो कि वर्ष 1971 व 1981 में राज्य की तुलना में क्रमशः 4.81 प्रतिशत तथा 4.89 प्रतिशत थी। जो 1971 घटकर 4.74 प्रतिशत रह गई है। तथा वर्ष 2001 में घटकर 4.66 प्रतिशत रही।

इन 11 पंचायत समितियों में गिर्वा, झाड़ोल, कोटड़ा, खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर व धरियावद जनजाति बाहुल्य है। बाकी 4 पंचायतों में गोगुन्दा, बड़गाँव, भीण्ड़र व मावली में जनजाति की आबादी अपेक्षाकृत कम है।

जनसंख्या

उदयपुर जिले के जनगणना 1991 व 2001 की ग्रामीण एवं नगरीय निम्नानुसार है :–

वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या			लिंगानुपात
		पुरूष	महिला	योग	
1991	ग्रामीण	856341	834151	1690492	974
	नगरीय	210184	185579	395763	883
	योग	1066525	1019730	2086255	956
2001	ग्रामीण	1077499	1064569	2142068	988
	नगरीय	257518	232624	490142	903
	योग	1335017	1297193	2632210	972

इस प्रकार 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर 27.37 है। प्रति हजार पुरूष महिलाओं की संख्या 1991 में 956 से बढ़कर 2001 में बढ़कर 972 हो गई है। जो स्त्री लिंगानुपात में वृद्धि का द्योतक हैं।

2.4 व्यवसायिक ढॉचा

उदयपुर जिले में कार्यशील पुरूष सर्वाधिक है तथा सीमान्त कार्यशील महिलाएँ अधिक है और बिना कार्य के सर्वाधिक महिलाएँ सर्वाधिक हैं।

क्र.सं.	विवरण	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	कार्यशील	554674	52%	124073	12.17%	678747	32.53%
2	सीमान्त	10617	1%	217795	21.36%	228412	10.95%
3	अकार्यशील	501234	47%	677862	66.47%	1179096	56.52%
	योग	**1066525**		**1019730**		**2086255**	

उदयपुर जिले की शैक्षिक एवं प्रशासनिक स्थिति

1. नगर पालिकाओं की संख्या 5।
2. पंचायत समितिया 11।
3. पंचायतें 498।
4. ग्राम संख्या 2290।

जिले में साक्षरता की स्थिति

क्रसं.	गणना वर्ष	भारत	राजस्थान	उदयपुर जिला
1	1981	43.56	24.38	22.01
2	1991	52.11	38.55	34.90
3	2001	65.38	61.03	59.26

2. उदयपुर जिला साक्षरता लिंगानुसार संख्या एवं प्रतिशत (मार्च 2001 तक की स्थिति)

क्र.सं.	पुरूष	महिला	योग
1	13,35017	12,97,193	26,32,210
2	74.47%	43.71%	59.26%

जिले के संपूर्ण विकास खण्ड़ को ध्यान में रखते हुए कुल 10 तहसीलों को 11 विकास खण्ड़ों में (पंचायत समितियों) में कुल 498 ग्राम पंचायते हैं। जिनकी संख्या विकास खण्ड़वार निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विकास खण्ड़	पंचायतों की संख्या
1	कोटड़ा	36
2	गोगुन्दा	40
3	बड़गांव	25
4	मावली	47
5	भीण्ड़र	52
6	गिर्वा	48
7	झाड़ोल	45
8	खेरवाड़ा	62
9	सराड़ा	46
10	सलूम्बर	48
11	धरियावद	49

2.5 प्रशारानिक ढाँचा

उदयपुर जिले में प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में 5422 वार्ड इकाई के रूप में हैं तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड़ो की संख्या 115 हैं। संख्यात्मक आँकड़े निम्न प्रकार से हैं :–

विवरण	संख्या
उपखण्ड	9
खण्ड	11
तहसील	10
गांव	2375
वासस्थान	3527
पंचायत	498
शहरी क्षेत्र	05
पंचायतों में वार्डो की संख्या	5422
शहरी क्षेत्र में वाड़ों की संख्या	115

2.6 डिमोग्राफिक फीचर

(a) जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या	योग	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
जनसंख्या 1991	2086255	1019730	1066525	956
जनसंख्या 2001	2632210	1297193	1335017	972
जनसंख्या में वृद्धि	545955	277463	268492	16

वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या			लिंगानुपात
		पुरूष	महिला	योग	
1991	ग्रामीण	856341	834151	1690492	974
	नगरीय	210184	185579	395763	883
	योग	1066525	1019730	2086255	956
2001	ग्रामीण	1077499	1064569	2142068	988
	नगरीय	257518	232624	490142	903
	योग	1335017	1297193	2632210	972

(b) ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या **(2001)**

जनसंख्या, 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या

State/ District/ Tehsil	Total/ Rural/ Urban	Population			Child population in the age-group 0-6			Literates		
		Person	Male	Female	Person	Male	Female	Person	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dist. Udaipur	**T**	**2632210**	**1335017**	**1297193**	**482956**	**248457**	**234499**	**1273644**	**809149**	**464495**
	R	2142068	1077499	1064569	423199	216625	206574	902695	598469	304226
	U	490142	257518	232624	59757	31832	27925	370949	210680	160269
Mavli	**T**	**213577**	**108125**	**105452**	**33764**	**17569**	**16195**	**99329**	**66023**	**33306**
	R	193953	98098	95855	30960	16121	14839	87565	58863	28702
	U	19624	10027	9597	2804	1448	1356	11764	7160	4604
Gogunda	**T**	**151572**	**76461**	**75111**	**29763**	**15243**	**14520**	**61052**	**41470**	**19582**
	R	151572	76461	75111	29763	15243	14520	61052	41470	19582
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotra	**T**	**183466**	**92649**	**90817**	**43746**	**21867**	**21879**	**34263**	**26581**	**7682**
	R	183466	92649	90817	43746	21867	21879	34263	26581	7682
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jhadol	**T**	**193769**	**97881**	**95888**	**41338**	**20782**	**20556**	**90333**	**57616**	**32717**
	R	193769	97881	95888	41338	20782	20556	90333	57616	32717
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Girwa	T	740644	385163	355481	111547	58323	53224	475997	282774	193223
	R	351327	179844	171483	65409	33731	31678	174326	112718	61608
	U	389317	205319	183998	46138	24592	21546	301671	170056	131615
Dhariawad	T	214058	107456	106602	46656	23787	22869	62965	45468	17497
	R	203564	102077	101487	45057	22963	22094	55830	41376	14454
	U	10494	5379	5115	1599	824	775	7135	4092	3043
Salumbar	T	212423	105092	107331	40413	20955	19458	102861	63964	38897
	R	196561	96977	99584	38307	19856	18451	90813	57191	33622
	U	15862	8115	7747	2106	1099	1007	12048	6773	5275
Sarada	T	223288	110968	112320	43167	22221	20946	102813	67204	35609
	R	212089	105055	107034	41889	21519	20370	94185	62277	31908
	U	11199	5913	5286	1278	702	576	8628	4927	3701
Kherwara	T	268945	134514	134431	55770	28458	27312	122779	81511	41268
	R	254280	126880	127400	53666	27322	26344	111898	75348	36550
	U	14665	7634	7031	2104	1136	968	10881	6163	4718

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

उदयपुर जिले में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन की समस्या विगत वर्षों से हैं क्योकिं बहुसंख्यक लोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। इनको शैक्षिक उत्थान से होने वाले लाभों की जानकारी नहीं होने से इनमें जाग्रति नहीं आ सकती हैं। जिले की साक्षरता दर तहसीलवार निम्नानुसार हैं।

(2001 की जनगणनानुसार)

3.2 साक्षरता दर 2001 (जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	तहसील	ग्रामीण			शहरी		
		Total	M	F	Total	M	F
1	मावली	53.72	71.80	35.43	69.94	83.46	55.87
2	गोगुन्दा	50.12	67.74	32.32	-	-	-
3	कोटड़ा	24.52	37.55	11.14	-	-	-
4	झाड़ोल	59.26	74.73	43.43	-	-	-
5	गिर्वा	60.97	77.14	44.07	87.90	94.10	81.02
6	वल्लभ नगर	60.82	77.09	44.49	74.53	87.85	60.17
7	धरियावद	35.22	52.30	18.21	80.21	89.84	70.12
8	सलुम्बर	57.38	74.16	41.44	87.58	96.54	78.26
9	सराड़ा	55.34	74.55	36.82	86.96	94.55	78.58
10	खेरवाड़ा	55.78	75.68	36.17	86.63	94.84	77.82
	योग	52.52	69.52	35.46	86.19	93.35	78.29

स्त्रेत– जनगणना, 2001

उपरोक्त सारणी से पता चलता हैं कि ग्रमीण क्षैत्र में शहरी क्षैत्र की अपेक्षा कम साक्षरता दर हैं। साथ ही महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम हैं। सभी तहसीलों में कोटडा की साक्षरता दर सबसे कम हैं। सर्वाधिक दर गिर्वा तहसील में हैं। जिसका अधिकतर भाग शहरी क्षैत्र में हैं।

वर्तमान में संचालित शैक्षिक परियोजनाएँ

लोक जुम्बिश परियोजना–उदयपुर जिले में लोक जुम्बिश परियोजना का शुभारम्भ जनवरी, 93 से हुआ। राजस्थान के प्रथम चरण के 25 विकास खण्ड़ों में उदयपुर जिले का झाड़ोल विकास खण्ड़ सम्मिलित किया गया। यहीं से जिले में लोक जुम्बिश ने सर्वप्रथम दस्तक दी एवं जन–जन की सहभागिता से इस जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड़ में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जन आन्दोलन हुआ। धीरे–धीरे क्रमशः निम्नानुसार विकास खण्ड़ों में लोक जुम्बिश परियोजना की गतिविधियॉ एवं कार्यक्रम संचालित हुए।

क्रम संख्या	नाम विकास खण्ड	लोक जुम्बिश परियोजना प्रारम्भ वर्ष
1	झाडोल	1993
2	कोटड़ा	1995
3	धरियावद	1996
4	गोगुन्दा	1997
5	सलूम्बर	1997
6	गिर्वा, बड़गॉव, मावली	2001
7	सराडा, खेरवाडा, भीण्डर	2001

जिले में लोक जुम्बिश परियोजना की गतिविधियॉ एवं कार्यक्रम यथा जारी सहज शिक्षा, शिक्षामित्र, मुक्तांगन, बालिका शिक्षण शिविर, वातावरण निर्माण, प्रेरकदलों, महिला समूहों का गठन शाला मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं अन्य समस्त महिला विकास एवं शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम संचालित है। वातावरण निर्माण शाला मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन, प्रेरक दल, महिला समूह गठन एवं महिला मेलों एवं भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य धीरे–धीरे संचालित हो रहे हैं। जिले में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय की स्थापना एवं जिला स्तर पर समन्वयक कार्य भी नई प्रशासनिक सरंचनानुसार माह अगस्त, 2001 से संचालित है। सम्पूर्ण जिले को कुल 75 संकुलों में विभक्त करके कार्य किया जा रहा हैं।

उदयपुर जिले में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित बच्चों हेतु लोक जुम्बिश परियोजना ने विभिन्न वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाओं में 12966 बालक, 23725 बालिका कुल 36691 बच्चें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	केन्द्र	कार्यरत अनुदेशक, मुक्तकों की संख्या	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	नामांकन		
				बालक	बालिका	योग
1	सहज शिक्षा केन्द्र	842	842	8382	15675	24057
2	मुक्तांगन	120	50	1395	985	2380
3	शिक्षा मित्र केन्द्र	281	281	3189	5681	8870
4	बालिका शिक्षण शिविर	112	16	—	1384	1384
	योग	1355	1189	12966	23725	36691

2.2 (1) शिक्षाकर्मी परियोजना

उदयपुर जिले में शिक्षाकर्मी परियोजना की शुरूआत 1987 से शुरू हुई जिले में दो संदर्भ इकाईयां वर्तमान में अलग–अलग विकास खण्ड़ों में शिक्षाकर्मी परियोजना की गतिविधियों का संचालन कर रही है, जो निम्नानुसार है –।

क्र.सं.	नाम सन्दर्भ इकाई	विकास खण्ड़ जिनमें कार्यरत
1	वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर	गिर्वा, सराड़ा, सलूम्बर, कोटड़ा, झाड़ोल
2	शिक्षाकर्मी संदर्भ इकाई, उदयपुर	धरियावद, भीण्ड़र एवं मावली

शिक्षाकर्मी परियोजना अंतर्गत वर्तमान में 243 शिक्षाकर्मी विद्यालय जिले के 9 विकास खण्ड़ों में संचालित है। इनमें कार्यरत शिक्षाकर्मी सांयकाल कामकाजी बालकों के लिए 2 घण्टे 30 मीनिट प्रहर पाठशालाओं का भी संचालन करते है। शिक्षाकर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं संबंलन प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर शिक्षाकर्मी संदर्भ इकाईयों एवं विकास खण्ड़ स्तर पर शिक्षाकर्मी सहयोगी एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मासिक प्रगति संधारण एवं सम्बलन प्रदान करते है।

शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षाकर्मी द्वारा गांव का नक्शा नजरी, सर्वे कार्य शिक्षा समिति का गठन एवं शत प्रतिशत नामांकन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। प्रत्येक शिक्षाकर्मी विद्यालय में 2 शिक्षाकर्मी कार्य करते है। जिनका चयन ग्राम सभा में लिखित परीक्षा से किया जाता है।

2.4 गैर–सरकारी संगठनों का योगदान

लोक जुम्बिश एवं शिक्षाकर्मी परियोजनाओं में प्रत्येक स्तर पर जिले में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा भी शिक्षा के सार्वजनीकरण में पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जो प्रमुखतया निम्नलिखित है :–

- ❖ सेवा मंदिर फतेहपुरा, उदयपुर :– यह संस्था शैक्षिक, सामाजिक, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं का संचालन करती हैं।
- ❖ वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर :– यह संस्था लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजना में परिचालन/संदभं इकाइं के रुप में शैक्षिक गतिविधियॉ कराती हैं।
- ❖ विद्या भवन, उदयपुर :– यह संस्था शैक्षिक अनुसंधान, मूल्यांकन, नवाचार तथा शिक्षण सहायक सामग्री हेतु कार्यशालाएँ करवाती हैं।

शिक्षा दर्पण

राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में एक साथ शैक्षिक आंकलन हेतु "शिक्षा दर्पण" कराया गया। जिसके अनुसार उदयपुर जिले में विद्यालय/शिक्षा से जुड़े तथा शिक्षा से वंचित बच्चों की स्थिति का आंकलन निम्नानुसार है :–

शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार 6–14 आयु वर्ग की कुल जातिवार जनसंख्या
जिला–उदयपुर (केवल ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	वर्ग	कुल जनसंख्या								
		6–10			11–14			6–14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु. जाति	9557	8323	17880	4672	3647	8319	14229	11970	26199
2	अनु. जनजाति	110800	92451	203251	39690	30600	70290	150490	123051	273541
3	अ.पि.व.	29868	27162	57030	15752	11668	27420	45620	38830	84450
4	सामान्य	24954	21517	46471	14235	11340	25575	39189	32857	72046
	योग	175179	149453	324632	74349	57255	131604	249528	206708	456236

शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के जातिवार वंचित बालक–बालिकाएँ

जिला–उदयपुर (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	वर्ग	कुल जनसंख्या								
		6–10			11–14			6–14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु. जाति	367	624	991	162	386	548	529	1010	1539
2	अनु. जनजाति	11640	22582	34222	5955	10541	16496	17595	33123	50718
3	अ.पि.व.	438	1519	1957	341	1181	1522	779	2700	3479
4	सामान्य	223	652	875	146	582	728	369	1234	1603
	योग	12668	25377	38045	6604	12690	19294	19272	38067	57339

जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 6–14 आयु के वंचित बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 57339 में से सर्वाधिक 50718 बालक–बालिकाएँ अनुसूचित जनजाति के हैं, जो कुल वंचितों के 88.45 प्रतिशत हैं। जिनमें जनजाति बालिकाओं की सर्वाधिक संख्या 33123 हैं।

जिले के पॉच शहरी क्षेत्र में 6–14 आयुवर्ग के कुल वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या 1449 है। जिसमें सर्वाधिक 556 अनुसूचित जाति के हैं।

3.3 शैक्षणिक सुविधाएँ

(a) औपचारिक विद्यालय

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रा.वि.			रा.गा.पा.			उ.प्रा.वि.			शि.क.वि.			संस्कृत			योग		
		G	P	T	G	P	T	G	P	T	PS	UPS	T	PS	UPS	T	PS	UPS	T
1	उदयपुर	1677	103	1780	1572	-	1572	608	225	833	240	3	243	20	8	28	3612	844	4456

संकेत :– G=सरकारी, P=गैर सरकारी

स्त्रेत – "शिक्षा आपके द्वार 2002" के अनुसार

(b) अनौपचारिक विद्यालय

क्र. सं.	केन्द्र	कार्यरत अनुदेशक, मुक्तकों की संख्या	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	नामांकन		
				बालक	बालिका	योग
1	सहज शिक्षा केन्द्र	842	842	8382	15675	24057
2	मुक्तांगन	120	50	1395	985	2380

3	शिक्षा मित्र केन्द्र	281	281	3189	5681	8870
4	बालिका शिक्षण शिविर	112	16	0	1384	1384
5	प्रहर पाठशाला	237	237	315	940	1255
	योग	1592	1426	13281	24665	37946

स्त्रेत – लोक जुम्बिश परियोजना, उदयपुर 2003

उपरोक्त सारणी से प्रतीत होता है कि अनोपचारिक रूप से विभिन्न संस्थाओं में कुल बालक 14361, बालिका 24710, कुल 39071 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इनमें अधिकतर कामकाजी या घरेलु कार्य करने वाली बालिकाएं हैं। अर्थात बालिकाऐं शिक्षा सामान्य धारा से कम जुड़ पाती है।

3.4 नामांकन

उदयपुर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिका हैं।

(a) जातिवार नामांकन कक्षा I से VIII.

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	उदयपुर	13918	11174	25092	134635	71294	205929	70829	67414	138243	219382	149882	369264

स्त्रेत :– शाला समंक वर्ष 2001–02

उदयपुर जिले में सर्वाधिक बालक बालिका अजजा, अजा के है। इनकी शैक्षिक प्रगति सामाजिक जागरूकता के अभाव में पिछडी हुई है।

(b) कक्षावार नामांकन जिला – उदयपुर

	B	G	T
कक्षा–1	55791	45302	101093
कक्षा–2	26661	18702	45363
कक्षा–3	22321	13269	35590
कक्षा–4	18898	11782	30680
कक्षा–5	16374	10558	26932
कक्षा–6	33599	28161	61760

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि बालको की अपेक्षा बालिकाओं की ठहराव दर अधिक है। क्योंकि जो बालिका शिक्षा से जुडती है। वो पूरी शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर ही जुडती है। जबकि बालक सामान्यतया मजदूरी या बाहर कमाने के लिये चले जाते है।

अध्यापकों की स्थिति –

(a) अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या

क्रसं.	नाम जिला	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रा.गा.पा.		
		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	उदयपुर	4706	4337	369	4433	3923	510	1722	1722	-

स्त्रेत :– जिला शिक्षा अधिकारी, सूचना 2002–03

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालय तथा राजीव गांधी पाठशालाओं में तो अधिकांश अध्यापकों के पद भरे हुए है। परन्तु उ.प्रा.वि. में अपेक्षाकृत कम पद भरे हुए है। जिससे उच्च कक्षाओं में अध्यापन कार्य बाधित होता है।

3.9 शिक्षक विद्यार्थी अनुपात

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रा.गा.पा.		
		नामांकन	कार्यरत अध्यापक	अध्यापक विद्यार्थी अनुपात	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	अध्यापक विद्यार्थी अनुपात	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	अध्यापक विद्यार्थी अनुपात
	उदयपुर	286587	5848	1:49	112370	4478	1:25	52628	1564	1:35

स्त्रेत :– शिक्षा विभाग प्रगति विवरण – वर्ष 2000–01

3.10 मूलभूत सुविधाएँ

(a) विद्यालय भवन (केवल सरकारी)

क्रसं	नामजिला	प्रा.वि.			रा.गा.पा.			उ.प्रा.वि.			अन्य		
		No. of School	With Building	W/O Building	No. of School	With Building	W/O Building	No. of School	With Building	W/O Building	No. of School	With Building	W/O Building

कक्षा–7	29051	12280	41331
कक्षा–8	16327	10188	26515
योग	219022	149882	368904

स्त्रेत :– शाला समंक 2001–02

(c) प्रबन्धनुसार नामांकन कक्षा I to VIII सत्र 2001–02

क्र.सं.	जिले का नाम	सरकारी विद्यालय			निजी विद्यालय			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
	उदयपुर	156753	106890	263643	62629	42992	105621	219382	149882	369264

स्त्रेत :– शाला समंक 2001–02

उक्त सारणी से प्रतीत होता है कि सरकारी विद्यालयों में नामाकंन अधिक है। अर्थात सामान्य स्तर एवं हर वर्ग/जाति के बच्चे इनमें आसानी से शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

(g) GER

क्र.सं.	जिले का नाम	जनसंख्या 6–14 वर्ष			नामांकन कक्षा I to VIII			GER		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
	उदयपुर	246798	208750	455548	228663	176482	405145	92.65	84.54	88.93

स्त्रेत :– शिक्षा आपके द्वार 2002

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट पता चलता है कि बालिकाओं की नामाकंन दर कम है। इसका कारण अभिभावकों का कम जागरूक होना तथा रूढिवादिता को मान्यता देना है।

3.5 ठहराव दर

क्रसं.	जिले का नाम	नामांकन कक्षा –1 (वर्ष 1993–94)			नामांकन कक्षा VII (2001-02)			ठहराव दर		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
	उदयपुर	46188	23589	69777	13206	7316	20522	28.59	31.01	29.41

स्त्रेत :– शिक्षा विभाग प्रगति विवरण वर्ष 2000–01

	उदयपुर	1677	1651	26	1722	1124	598	608	608	-	1416	252	1164

स्त्रेत :– जि.शि.अ.+लोक जुम्बिश सर्वे

उपरोक्त सारणी से प्रतीत होता है कि रा.गा.पा. विद्यालय तथा अन्य लोक जुम्बिश विद्यालयों के भवनों का अभाव भी नामाकंन व ठहराव को प्रभावित करता है।

(c) पानी की सुविधा

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रा.वि.			रा.गा.पा			उ.प्रा.वि			अन्य		
		विद्यालय संख्या	पानी की सुविधा वाल	पानी की सुविधा रहित विद्यालय	विद्यालय संख्या	पानी की सुविधा वाल	पानी की सुविधा रहित विद्यालय	विद्यालय संख्या	पानी की सुविधा वाल	पानी की सुविधा रहित विद्यालय	विद्यालय संख्या	पानी की सुविधा वाल	पानी की सुविधा रहित विद्यालय
	उदयपुर	1677	1304	373	1722	1216	506	608	569	39	1416	152	1264

स्त्रेत :– जिला शिक्षा अधिकारी+लोक जुम्बिश सर्वे उदयपुर

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालय, रा.गा.पा तथा अन्य लोक जुम्बिश विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था का अभाव है। जिससे बालकों का पूरे समय ठहराव कम रहता है।

(d) शौचालय सुविधाएँ

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रा वि			रा गा पा			उ प्रा वि			अन्य		
		विद्यालय संख्या	शौचालय की सुविधा वाले	शौचालय की सुविधा रहित विद्यालय	विद्यालय संख्या	शौचालय की सुविधा वाले	शौचालय की सुविधा रहित विद्यालय	विद्यालय संख्या	शौचालय की सुविधा वाले	शौचालय की सुविधा रहित विद्यालय	विद्यालय संख्या	शौचालय की सुविधा वाले	शौचालय की सुविधा रहित विद्यालय
1	उदयपुर	1677	1231	446	1722	-	1722	608	567	41	1416	-	1416

स्त्रेत :– जिला शिक्षा अधिकारी+ लोक जुम्बिश सर्वे उदयपुर

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि शौचालयों का अभाव सभी विद्यालयों में रहने से बालिका शिक्षा पर प्रतिकूल पडता है। चूकि बालिकाऐं शौच एवं लघुशंका हेतु खुले में शर्म महसूस करती है। जिससे बालिका नामाकंन तथा ठहराव प्रभावित होता है।

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया

भूमिका

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीनकरण करने हेतु कई परियोजनाएँ कार्यरत हैं। जिसमें राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि परियोजनाएँ मुख्य है। इन सभी परियोजनाओं में एकरूपता लाने एवं आपसी विरोधाभास को खत्म कर शिक्षा का सार्वजनीनकरण करने हेतु भारत सरकार ने "सर्व शिक्षा अभियान" के नाम से योजना प्रारम्भ की है, जिसमें 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाना है।

"सर्व शिक्षा अभियान" प्रारम्भिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय अभियान है। ये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके अन्तर्गत नीचे से योजना प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें ग्राम स्तर की योजनाओं का विकास खण्ड स्तर पर संग्रहित करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु जिला स्तर पर पूरे जिले की सहभागिता प्राप्त की गई है। जिला की योजना तैयार करने हेतु योजना समिति का गठन निम्न स्तरों पर किया गया है –

कोर टीम का निर्माण

जिले में विभिन्न स्तरों यथा जिला स्तरीय, खण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय कोर टीम का निर्माण निम्नानुसार किया गया है –

जिला स्तर पर

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. सभी ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4. प्राचार्य डाईट	सदस्य
5. जिला स्तरीय अधिकारी– समाज कल्याण एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6. दो सेवा निवृत अध्यापक	सदस्य
7. दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
8. जिला परियोजना समन्वयक (लोजुप)	संयोजक

ब्लॉक स्तर पर

1. कलक्टर द्वारा नामित आर.ए.एस अधिकारी	अध्यक्ष
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3. खण्ड स्तरीय परियोजना अधिकारी(बी.आर.सी.एफ./बी.ई.ओ.)	सदस्य
4. विकास अधिकारी	सदस्य

5. ब्लॉक स्तरीय अधिकारी–समाज कल्याण, महिला
एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग — सदस्य

6. दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि — सदस्य

7. दो सेवा निवृत अध्यापक — सदस्य

ग्राम स्तर पर

1. सरपंच — अध्यक्ष
2. वार्ड सदस्य – 5 (एक अनुसूचित जाति एक जन जाति एवम एक महिला) — सदस्य
3. ग्राम सेवक — सदस्य
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता — सदस्य
5. अध्यापक – (उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक के द्वारा मनोनित) — सदस्य
6. छात्र के अभिभावक –
(उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनित) — सदस्य
7. उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक — सदस्य सचिव
8. विशेश आमंत्रित – ए.एन.एम., सेवानिवृत कर्मचारी — सदस्य

उपर्युक्त समितियों के निम्न उद्वेश्य है :–

1. " शिक्षा आपके द्वार" योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वहन।
2. ग्राम समिति द्वारा बैठकों का आयोजन।
3. जन–सहभागिता सुनिश्चित करना (सभी वर्गो को लेते हुए)
4. समिति द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं तथा वेकल्पिक विद्यालय : रा.गा.पा., आंगनवाड़ी, पेराटीचर्स एवं शिक्षा मित्र योजना के बारे में उनका कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में बताना।
5. समिति द्वारा विद्यालयों की सहभागिता से निर्मित योजना के बारे में जानकारी देना।

शिक्षा दर्पण

राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में एक साथ शैक्षिक आंकलन हेतु "शिक्षा दर्पण" कराया गया। जिसके अनुसार उदयपुर जिले में विद्यालय/शिक्षा से जुड़े तथा शिक्षा से वंचित बच्चों की स्थिति का आंकलन निम्नानुसार है :–

शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार 6–14 आयु वर्ग की कुल जातिवार जनसंख्या जिला–उदयपुर (केवल ग्रामीण क्षेत्र)

		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु. जाति	9557	8323	17880	4672	3647	8319	14229	11970	26199
2	अनु. जनजाति	110800	92451	203251	39690	30600	70290	150490	123051	273541
3	अ.पि.व.	29868	27162	57030	15752	11668	27420	45620	38830	84450
4	सामान्य	24954	21517	46471	14235	11340	25575	39189	32857	72046
	योग	175179	149453	324632	74349	57255	131604	249528	206708	456236

शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार 6–14 आयुवर्ग के जातिवार वंचित बालक–बालिकाएँ जिला–उदयपुर (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	वर्ग	कुल जनसंख्या								
		6–10			11–14			6–14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु जाति	367	624	991	162	386	548	529	1010	1539
2	अनु. जनजाति	11640	22582	34222	5955	10541	16496	17595	33123	50718
3	अ.पि.व.	438	1519	1957	341	1181	1522	779	2700	3479
4	सामान्य	223	652	875	146	582	728	369	1234	1603
	योग	12668	25377	38045	6604	12690	19294	19272	38067	57339

जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 6–14 आयु के वंचित बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 57339 में से सर्वाधिक 50718 बालक–बालिकाएँ अनुसूचित जनजाति के हैं, जो कुल वंचितों के 88.45 प्रतिशत हैं। जिनमें जनजाति बालिकाओं की सर्वाधिक संख्या 33123 हैं।

जिले के पॉच शहरी क्षेत्र में 6–14 आयुवर्ग के कुल वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या 1449 है। जिसमें सर्वाधिक 556 अनुसूचित जाति के हैं।

सर्व शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा हेतु आयोजित बैठकों का विवरण

दिनांक	स्थान	संभागी संख्या	संभागी विवरण बैठक अध्यक्षता	चर्चा के बिन्दू
1	2	3	4	5
3.11.2001	संभागीय आयुक्त सभागार	150	बैठक अध्यक्षता श्रीमती कुशल सिंह " सचिव" ग्राम विकास एवं पंचायती राज 5 जिला कलक्टर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा उप निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक एवं माध्यमिक, जिला	शिक्षा आपके द्वारा की योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं आगामी कार्य योजना के सम्बन्ध में।

			साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, लोक जुम्बिश एवं लोक जुम्बिश परियोजना के 125 अधिकारी	
7.11.01	जिला स्तर पर	156	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रमुख, प्रधान – 81, जन प्रतिनिधी – 106, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – 11, विकास खण्ड के प्रभारी अधिकारी – 25(लो.जु.प.) 10 अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्य. एवं प्राथमिक, जिला परियोजना समन्वयक, उदयपुर	"शिक्षा आपके द्वार" की योजना की जानकारी एवं आगामी कार्य योजना के सम्बन्ध में।
8, 9, 10, 12. 11.02	11 विकास खण्डों मे	220	अतिरिक्त विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी लोक जुम्बिश, अतिरिक्त जिला कलक्टर, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं जनप्रतिनिधी	"शिक्षा आपके द्वार" की रणनीति एवं ग्राम स्तर से प्रभारी लागु करने की कार्य योजना।
18,19.11.02	जिले पर	320	ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, जनप्रतिनिधि, शिक्षक संघ के सदस्य, अतिरिक्त विकास अधिकारी, लोक जुम्बिश परियोजना अधिकारी समस्त जिला परियोजना समन्वयक, तहसीलदार, अति.जिला कलक्टर।	"शिक्षा दर्पण 2000" को आज दिनांक करने के सम्बन्ध एवं अध्यापकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सर्व कार्य शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर आदि बांटने एवं लगवाने के सम्बन्ध में।

वातावरण निर्माण संबंधी कार्यक्रम

"शिक्षा आपके द्वार" योजना जो सर्व शिक्षा अभियान का प्रथम चरण था। जिसमें 2002–03 तक जिले के 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिए एक सशक्त वातावरण निर्माण आवश्यक था। क्योंकि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 57339 एवं शहरी क्षेत्र में 1449 कुल 58788 बालक–बालिकाएँ शिक्षा से वंचित थे, जो किसी भी औपचारिक एवं अनौपचारिक विद्यालयों से नहीं जुडे थे और इनको जोडने के लिए वातावरण निर्माण जरूरी था। इस हेतु "शिक्षा आपके द्वार" योजना में जिला कार्ययोजना बनाई गई।

"शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम में पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय आयोजित बैठकों का तिथिवार विवरण :–

क्र.सं.	नाम समिति	बैठक की निश्चित दिनांक / दिन	कुल संख्या	कुल संख्या आयोजित बैठक	कुल सदस्य संख्या	उपस्थित सदस्य संख्या (प्रतिशत)
1.	जिला स्तरीय	1.11.01 7.11.01 19.11.01 3.1.02 10.1.02 7.2.02 8.3.02	1 1 1 1 1 1 1	7	प्रति समिति 10 सदस्य योजना में निर्धारित के अनुसार	100 प्रतिशत
2.	ब्लॉक स्तरीय	8, 9 व 10.11.01 में	प्रति ब्लॉक 1 कुल 11	11 (ब्लॉक वार)	प्रति बैठक निर्धारित 11 सदस्य कुल 121	100 प्रतिशत
3.	ग्राम पंचायत स्तरीय	19.11.01	1 प्रति ग्राम पंचायत स्तर कुल 498	498	13 X 498 = 474	100 प्रतिशत
4.	संकुल स्तरीय	निर्देश प्रदान कर दिये गये				
5.	ग्राम स्तरीय	सूचना प्राप्त की जा रही है।				
6.	नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड स्तरीय	26.1.02 से 5.2.02	110	110	110 X 4 = 440	100 प्रतिशत

"शिक्षा आपके द्वार" के सफल संचालन हेतु आयोजित किये गये जनप्रतिनिधियों के आमुखीकरण प्रशिक्षण का विवरण :–

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि	कुल संख्या	आमुखीकरण किया गया
1.	जिला प्रमुख	1	1
2.	सांसद	2	1
3.	विधान सभा सदस्य	10	10
4.	जिला परिषद सदस्य	45	45
5.	प्रधान	11	11
6.	ग्राम पंचायत समिति सदस्य	259	259
7.	सरपंच	498	498
8.	वार्ड पंच	5422	5422
9.	नगर पालिका सदस्य मय अध्यक्ष	115	115

उदयपुर जिला – सांख्यिकी में

जिला का क्षेत्रफल : 12596 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या :

(2001 की जनगणना की अनुसार समग्र जनसंख्या)

पुरूष	स्त्रियां	कुल जनसंख्या
1335017	1297193	2632210

जिले की राज्य में जनसंख्या के अनुपात :

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (सैकड़ों में)		राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत
	राजस्थान	उदयपुर	
1961	201566	9499	4.71 प्रतिशत
1971	257658	12471	4.81 प्रतिशत
1981	342619	16771	4.81 प्रतिशत
1991	438806	20863	4.74 प्रतिशत
2001	564731	26322	4.66 प्रतिशत

राज्य की तुलना में जिले की ग्रामीण जनसंख्या (सैकड़ो में):

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (सैकड़ों में)		राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत
	राजस्थान	उदयपुर	
1961	169741	8232	4.89 प्रतिशत
1971	212229	10671	5.03 प्रतिशत
1981	270514	13978	5.17 प्रतिशत
1991	338405	17212	5.09 प्रतिशत
2001	435517	21715	4.98 प्रतिशत

राज्य की तुलना में जिले की शहरी जनसंख्या (सैकड़ो में) :

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (सैकड़ों में)		राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत
	राजस्थान	उदयपुर	
1961	32816	1267	3.86 प्रतिशत
1971	45438	1800	3.96 प्रतिशत
1981	72105	2793	3.87 प्रतिशत
1991	100401	3651	3.64 प्रतिशत
2001	129214	4607	3.56 प्रतिशत

शिक्षा से वंचित बालकों को जोड़ने की कार्ययोजना का संक्षिप्त विवरण

सर्वे से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर वार्ड/ग्राम स्तर पर सूक्ष्म नियोजन कर ग्राम/वार्ड शिक्षा योजना का निर्माण किया गया। इसके पश्चात् ग्राम शिक्षा योजना का समेकित कर ब्लॉक शिक्षा योजना, जिला शिक्षा योजना का निर्माण किया गया।

सर्वे में दर्शाये गये अनामांकित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों, वैकल्पिक विद्यालय, सहज शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र केन्द्र, बालिका शिक्षण शिविर व ब्रिज कोर्स से जोडे जाने का प्रयास किया गया। बालिकाओं का उपरोक्तानुसार नामांकन शिक्षा मित्र योजना से जोड़ा जावे। शिक्षा मित्र केन्द्र किसी व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था द्वारा उसी वासस्थान पर प्रारम्भ किये जाये जहां पर अनामांकित छात्र उपलब्ध हैं। जिले में मई 2000 में शिक्षा दर्पण के अंतर्गत सर्वे के माध्यम से 1,20,149 बालक/बालिकाऍ शिक्षा से वंचित चिन्हित किये गये। इन वंचित बालक बालिकाओं में से अब तक सतत् प्रयासों में 62807 बच्चे शिक्षा से जोड पाये हैं। फिर भी जनवरी, 2002 में किये गये सर्वे के माध्यम से 57339 बालक बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से वंचित पाये गये। पंचायत समिति, धरियावद में 10332 एवं कोटड़ा में 14291 बच्चे सर्वाधिक वंचित पाये गये हैं। पंचायत समिति, बड़गांव में सबसे कम 1097 बालक बालिकाऍ शिक्षा से वंचित पाये गये हैं। वंचित बालकों में 19272 छात्र एवं 38067 छात्रऍ कुल 57339 शिक्षा से वंचित पाये गये हैं। इसके साथ ही 1449 बच्चे शहरी क्षेत्र में शिक्षा से वंचित चिन्हित् किये गये हैं। इस प्रकार उदयपुर जिले में वंचित बालक बालिकाओं की कुल संख्या 58788 है। शिक्षा से

वंचित बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्ययोजना प्रस्तावित की गई, जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं –

1. प्रथम श्रेणी – औपचारिक शिक्षा के 4464 विद्यालय वर्तमान में उदयपुर जिले में संचालित हैं। जिनमें ग्रामीण क्षेत्रें के 18348 शहरी क्षेत्रें के 1449 कुल 19797 बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

2. द्वितीय श्रेणी –राजीव गांधी पाठशाला – जिले में 1739 पाठशालाएँ स्वीकृत हैं। इनमें 17217 बालक बालिकाएँ जोडे जायेंगे।

3. तृतीय श्रेणी – वैकल्पिक नवाचार युक्त शैक्षिक प्रयास –

3.1 लोक जुम्बिश परियोजना –

3.1.1 सहज शिक्षा केन्द्र – दूरस्थ एवं कामकाजी बालक बालिकाओं को लोक जुम्बिश द्वारा संचालित सहज शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 16186 बालक बालिकाओं को जोड़ा जायेगा।

3.1.2 मुक्तांगन केन्द्र – लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित मुक्तांगन केन्द्रों के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा से जोडने का प्रयास किया जायेगा। जिन बच्चों का बिखरी आबादी होने के कारण विद्यालयों में पहुँच पाना संभव नहीं होता हैं, उन जगहों पर मुक्तांगन केन्द्र खोलकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

3.1.3 बालिका आवासीय शिक्षण शिविर – बालिका आवासीय शिक्षण शिविर के माध्यम से 1336 बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

3.1.4 शिक्षा मित्र केन्द्र – लोक जुम्बिश के शिक्षा मित्र केन्द्रों के माध्यम से 3228 बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

इस प्रकार जिले में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा वैकल्पिक एवं नवाचार युक्त माध्यमों से कुल 20750 शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

3.2 शिक्षाकर्मी परियोजना

शिक्षाकर्मी स्कूल –

उदयुपर जिले के प्रपत्र के अनुसार 143 शिक्षाकर्मी विद्यालयों में 865 बालक बालिकाओं को जोड़ा जायेगा।

सांयकालीन विद्यालय प्रहर पाठशाला –

शिक्षाकर्मी परियोजना द्वारा संचालित प्रहर पाठशालाओं में 159 बालक–बालिकाओं को जोड़ा जायेगा।

इस प्रकार जिले में संचालित शिक्षाकर्मी परियोजना के माध्यम से कुल 1024 वंचित बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की विद्यालयवार योजना

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	वंचित बालकों की संख्या, जिन्हें शिक्षा से जोड़ना हैं
1	औपचारिक शिक्षा के माध्यम से (प्रा.वि./उ.प्रा.वि./रा.गा.पा.) शहरी एवं ग्रामीण	37014
2	सहज शिक्षा एवं मुक्तांगन केन्द्रों से	16186
3	आवासीय बालिका शिक्षण शिविर	1336
4	शिक्षा मित्र केन्द्रों से	3228
5	शिक्षाकर्मी विद्यालयों से	865
6	प्रहर पाठशालाओं से	159
	योग	58788

समस्याएँ एवं मुद्दें

भूमिका

उदयपुर जिले के 11 विकास खण्ड़ों में संचालित लोक जुम्बिश परियोजना के कुल 7 विकास खण्डों में जनजाति बाहुल्य है तथा चारों ओर से यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से घिरा

होने के कारण यहां के जनजाति निवासी बिखरी हुई बस्तियों में निवास कर रहे हैं। विकास की गति के साथ इनकी सोच में भी परिवर्तन तो आया है। किन्तु विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई ऐसे स्थान हैं जहां पर केवल मात्र पैदल ही चलकर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लोक जुम्बिश ऐसे ही स्थानों पर विशेष ध्यान दे रही है तथा शिक्षा के सार्वजनीनकरण का कार्य कर रही है। कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा, धरियावद, गिर्वा के पहाड़ी अंचल में स्थित कई गॉवों, वास स्थानों में 10–15 किमी. तक पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। इन्ही क्षेत्रें में सर्वाधिक 6–14 वर्ष के बालक–बालिका शिक्षा से वंचित है।

इन ब्लॉकों के क्षेत्रें में शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात, ठहराव दर, अध्यापक आवश्यकता एवं पहुँच के सम्बन्ध में वृहद विश्लेषण की आवश्यकता हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव दर, पहुँच एवं अध्यापकों की शिक्षार्थी अनुपात में आवश्यकता प्रतिपादित की गई हैं। जिले में शिक्षा के सार्वजनीन हेतु सहज शिक्षा केन्द्रों, शिक्षा मित्र केन्द्रों, मुक्तांगन, व राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

पहुँच–विद्यालय शिक्षा व्यवस्था से दूर रहने के कारण

1. नामांकन – हार्ड कोर ग्रुप
2. ठहराव – ट्राइबल एवं गरीबी
3. गुणवत्ता
4. भवन
5. सामुदायिक चेतना
6. जेण्डर समता
7. सामर्थ्य
8. स्थानीय स्तर पर उ.प्रा.वि. की दूरी

नामांकन एवं ठहराव

जिले में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण शहरों कस्बों एवं अन्य पडौसी राज्यों में समय–समय पर परिवार मजदूरी के लिए लम्बी अवधि तक चले जाते है।

पूर्णतः मौसमी वर्षा पर निर्भर रहने एवं कृषि योग्य समतल भूमि के अभाव में जीवन–यापन हेतु बाहर मजदूरी पर जाना इन लोगों की मजबूरी है। कतिपय परिवारों में

लगभग 6 माह तक परिवार के सदस्य मजदूरी पर बाहर चले जाते है। दिन के समय में बच्चे घरेलू कार्यो के कारण औपचारिक विद्यालयों से कम जुड़ पाते है।

शिक्षा के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता के अभाव के कारण विधार्थी का नामांकन एवं ठहराव अत्यधिक प्रभावित होता है। साथ ही बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव आशातीत नही रह पाता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु जो बालक बालिकाएं अधिक उम्र के हो जाते है या कामकाजी एवं गरीब होने की वजह से विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते है। उन्हें लोक जुम्बिश सहज शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र केन्द्र, मुक्तांगन एवं बालिका शिक्षण शिविरों के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही उनका एवं विद्यालयी बच्चों का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक दलों व महिला समूह के माध्यम से वंचित बच्चों का सर्वे, घर–घर संपर्क, ग्राम बैठके एवं महिला समूह बैठकें की जाती है। अतः आगे सर्व शिक्षा अभियान में उक्त गतिविधियां रखी जावेगी।

जिले में निरन्तर अकाल की मार सह रहे ग्रामीण लोग अधिक आय हेतु मजदूरी एवं अन्य कार्यो में व्यस्त रहते हैं तथा अन्य शहरों में पलायन कर जाते हैं।

जिले में ग्रामीण क्षेत्रें में 6–14 आयुवर्ग के 2,49,528 बालक एवं 2,06,768 बालिकाएँ कुल 4,56,296 हैं। इनमें से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बालकों की संख्या 2,30,256 एवं बालिकाओं की संख्या 1,68,701 कुल 3,98,957 हैं।

उदयपुर जिले में शिक्षा आपके द्वार के तहत शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार जिले में कुल वंचित 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की संख्या 58788 है। जिसमें लगभग 39000 बालिकाएँ है तथा सबसे ज्यादा वंचित बालक–बालिकाएँ क्रमशः कोटड़ा में 14291 धरियावद में 10332 एवं गिर्वा में 7112 हैं। इस स्थिति के समाधान हेतु राज्य सरकार एवं लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा अधिकतर नामांकित हो चुके हैं, परन्तु कुछ हार्ड कोर अब भी शेष हैं। इन्हें जोड़कर शिक्षा देने का प्रयास सर्व शिक्षा अभियान में किया जायेगा।

गुणवत्ता

विद्यार्थीयों के नामांकन एवं ठहराव के बाद शिक्षण कार्य आता है। शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले सात तत्व है।

1. बालक 2. शिक्षक 3. पाठ्यक्रम 4. शिक्षण विधा 5. सहायक शिक्षण सामग्री
6. शिक्षण स्थल 7. वहां का वातावरण

इन्हीं संदर्भो में पहले शिक्षा अध्यापक केन्द्रित थी को बाल केन्द्रित बनाया गया है। पाठ्यक्रम में भी आवश्यक संशोधन एवं जुड़ाव समय–समय पर शिक्षण अनुसंधान के माध्यम से किया जा रहा है। और बच्चें को शिक्षण के नीरस वातावरण से निकाल कर आनन्दायी शिक्षा से जोडा जा रहा है। इसी के साथ पूरी–पूरी व पक्की शिक्षा प्राप्त हो। इस हेतु समय–समय पर शिक्षक प्रशिक्षणों, अनुदेशक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात उसको सतत् बनाये रखने हेतु सी.आर.टी व बी.आर.टी बैठके की जाती है। एवं सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और विद्यालय को कन्टेन्जेन्सी राशि दी जाती है व विद्यालयों में भवन मरम्मत, भवन निर्माण कराये जाते है जिससे वहां का वातावरण शैक्षिक बन सके।

सामुदायिक चेतना

लोक जुम्बिश द्वारा पहुँच एवं ठहराव के प्रयास :–

1. शाला मानचित्रण द्वारा प्राप्त आंकड़ों से हम ऐसे गॉवों का चयन कर वहां सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्र, मुक्तांगन खोलकर दूर दराज के गॉवों के कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

2. काम–काजी बालक–बालिकाओं के लिए उनके समय की सुविधानुसार उनको पढ़ाने की व्यवस्था से पहुँच में आसानी हुई है।

3. गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री निःशुल्क मुहैया करने से पहुँच आसान हुई है।

4. पलायन वाले क्षेत्रें में जहां पलायन किया जाता है, वहां अल्प लागत छात्रवास खोलकर पहुँच आसान बनाई है, किन्तु इनकी संख्या न्यून हैं।

5. शिक्षक के व्यवसाय को प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण एवं विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें शिक्षा के प्रति समर्पित भाव की प्रेरणा दी गई इससे भी पहुंच के प्रति सकारात्मक प्रभाव मिला।

6. स्थानीय शिक्षक होने से छात्र सम्बन्धों में निकटता आई है। इस वर्ष में सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्र आवश्यकता के अनुसार खोले जाएगें। साथ ही बालिका शिक्षण शिविर लगाकर प्रत्येक बालिका को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

7. महिला समूह बैठकें, प्रेरक दल बैठकें, कला जत्था, प्रदर्शनी, शिक्षा से सम्बन्धित नाटक एवं सामाजिक कुरीतियों को प्रभावित करने वाले नाटकों के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाई जा रही है।

भवन

- ❖ कक्षा –कक्ष का अभाव।
- ❖ कक्षा–कक्ष में मरम्मत की आवश्यकता।
- ❖ विद्यालय में पानी की सुविधा का अभाव।
- ❖ शौचालय सुविधाओं का अभाव।
- ❖ आनन्ददायी शैक्षिक वातावरण का अभाव।

वर्तमान समय में अध्यापक–बालक के अनुपात के अनुसार बच्चों को शैक्षिक वातावरण के लिए कक्षा–कक्षों की कमी तथा कक्षों की उचित समय पर मरम्मत न होना, बरसात में छतों द्वारा पानी का टपकना, विद्यालय में उचित पानी की सुविधा का अभाव होना, शौचालय का उपलब्ध न होना तथा खेल के मैदानों की कमी भी बालकों के ठहराव व नामांकन की दिशा में बाधक प्रतीत होते है। सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षक और शिष्य का अनुपात 1:40 के आधार पर उतने ही कक्षा–कक्षों की आवश्यकता होगी। जितने अध्यापक विद्यालय में उपलब्ध होंगे साथ ही ज्यों–ज्यों नामांकन बढ़ेगा, अध्यापकों की मांग बढ़ेगी और उसी अनुरूप कक्षा–कक्षों की मांग भी बढ़ेगी। सर्वशिक्षा अभियान में उक्त मांग के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एवं अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों(सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्रों, मुक्तांगन एवं रा.गा.पा) हेतु भी भवनों का निर्माण किया जाएगा।

प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दूरी अधिक होने से नामांकन एवं ठहराव में कमी महसूस की जा रही है। उपर्युक्त कमियों को ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान में प्रा.वि. को उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत किया जायेगा।

जेण्ड़र समता

स्थानीय जिले में जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने के कारण लोग आज भी अंधविश्वासों से ग्रसित हैं तथा उनकी सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में आज भी लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं। लोक जुम्बिश

परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लिंग भेद, महिला समता एवं पुरूषों की महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव के प्रयास किये जा रहे है। इसी संदर्भ में लोक जुम्बिश द्वारा महिला समूह बैठकें,अध्यापिका मंच, किशोरी मंच,स्कूली बालिकाओं की कार्यशाला, महिला तालिका मेला, बालिका मेला एवं स्वयं सहायता समूहों के आदि गतिविधियों के माध्यम से महिला में समानता का भाव एवं आत्म विश्वास जाग्रत करने का प्रयास किया जा रहा है। व इन्हीं की सहायता लेते हुये बालिका शिक्षा वृद्वि हेतु प्रयास किये जा रहे है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा एवं समाज की महिलाओं की स्थिति में विभिन्न गतिविधियों द्वारा सुधार लाने का प्रयासों के द्वारा महिला समता को बढ़ावा दिया जायेगा।

शिक्षा गारन्टी योजना

ग्रामीण क्षेत्रें में ऐसे वासस्थान जहाँ 1 किमी. की परिधि में कोई शिक्षा सुविधा नहीं है तथा जहाँ 20–25 बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हों, वहाँ शिक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत शिक्षा उपलब्ध करवाई जायेगी। वर्तमान में उदयपुर जिले में 337 वासस्थान ऐसे हैं, जहाँ पर कोई शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर शिक्षा मित्र, सहज शिक्षा केन्द्र, मुक्तांगन खोले जाकर बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

अध्यापकों की आवश्यकता

राज्य सरकार के मानदण्डानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 शिक्षक तथा प्रा.वि. में 5 शिक्षक होने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में सीखने की प्रक्रिया को अधिक परिणामपरक बनाने हेतु अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी, तो अतिरिक्त पेरा टीचर्स को 1200/–रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा एवं 200/–रूपये प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी, जो अधिकतम् 2000/–रूपये तक होगी। बालिकाओं की ठहराव दर को बढ़ाने के लिए महिला पेरा टीचर्स के चयन को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षा गारन्टी योजना वाले विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जायेगा और प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

विद्यालय सुविधा अनुदान

- ❖ जिन विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। उनमें 2000/–रूपये प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से विद्यालय सुविधा प्रदान की जायेगी।

प्रत्येक अध्यापक को 500/–रूपये की दर से टी.एल.एम. बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

- ❖ जिन शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जायेगा, उनके अध्यापकों को 500/–रूपये की दर से टी.एल.एम. बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- ❖ जिले में संचालित समस्त ई.जी.एस. केन्द्र जो प्राथमिक स्तर पर चल रहे हैं, उनमें कार्यरत पैरा टीचर्स को 500/–रूपये प्रतिवर्ष की दर से टी.एल.एम. बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

विद्यालय भवनों का रख–रखाव

जिले के समस्त प्राथमिक, उ.प्रा.वि. एवं अन्य विद्यालयों को 5000/–रूपये प्रति विद्यालय की दर से भवन के रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष दिये जायेंगे।

कम्प्यूटर शिक्षा

- ❖ सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। 2003–2003 से प्रतिवर्ष 10–10 कम्प्यूटर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके साथ ही अध्यापकों को भी कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। कम्प्यूटर के लिए फर्नीचर की व्यवस्था इसी क्रम में की जायेगी। साथ ही इनके रख–रखाव के लिए भी राशि का प्रावधान रखा गया है। ताकि बच्चों एवं अध्यापकों में तकनीकी शिक्षा का ज्ञान हो और वह समाज में अग्रसर हो सकें।

जन–सहभागिता

भूमिका

लोक जुम्बिश परियोजना की प्रत्येक गतिविधि जन सहभागिता के बिना अधूरी प्रतीत होती है। जन समुदाय की भागीदारी के बिना तमाम शैक्षिक एवं अन्य आकलन करना मुश्किल है। वर्तमान में लोक जुम्बिश में महिला बैठकें, बाल मेला, कलाजत्था, विज्ञान मेला, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन एवं माँ–बेटी सम्मेलन, प्रेरक दल गठन, महिला समूह गठन, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाकर सूक्ष्म नियोजन की गतिविधियों के द्वारा उपलब्ध सुविधा और सूचना का अधिकतम् उपयोग लिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा

प्रबन्ध समितियों का गठन, एम.टी.ए., पी.टी.ए. का गठन कर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। साथ ही लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों का यथावत् जारी रखा जायेगा।

जन सहभागिता के अन्तर्गत निम्न प्रकार की गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे –

1. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।
2. ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं प्रशिक्षण।
3. शिक्षा प्रबन्ध समिति का गठन एवं प्रशिक्षण।
4. बाल मेले का आयोजन।
5. महिला/बालिका मेला आयोजन।
6. माँ–बेटी सम्मेलन।
7. माता–अध्यापक संघ का गठन।
8. अभिभावक–अध्यापक संघ का गठन।
9. खेल–कूद गतिविधियाँ।
10. संचार टीम का गठन।
11. बाल फिल्में इत्यादि दिखाना।

जन सहभागिता की क्रियाविधि

- वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा प्रेरक दल एवं महिला समूह का गठन कर तथा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर इनके सदस्यों के द्वारा प्रत्येक परिवार का सर्वे किया जाता है तथा उसके पश्चात् गांवों का नजरी नक्शा तैयार किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि इस गांव का कौनसे परिवार का कौनसा बालक या बालिका विद्यालय से नहीं जुड़ा है। सर्व शिक्षा अभियान में भी उक्त व्यवस्था को जारी रखते हुए जन भागीदारी के साथ परिवारवार सर्वे की जायेगी। सर्वे में 0–6 आयुवर्ग एवं 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं का पता लगाया जाकर उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

- ❖ इसके सर्वे को अदिनांक करने हेतु गांव के नवयुवकों की मदद से इसको अदिनांक किया जायेगा।।
- ❖ वर्तमान में शैक्षिक सुविधाओं का आकलन कराया जाकर कितने विद्यालयों में भवन की आवश्यकता है? पानी एवं शौचालय की सुविधा कितनी है? उक्त कार्य में समुदाय का सहयोग लिया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन की क्रियाविधि

- ❖ स्कूल मेपिंग की सूचनाओं का अपडेशन।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति/संकुल प्रभारी द्वारा संकलित सूचनाओं का समेकित रजिस्टर ग्राम स्तर पर तैयार किया जायेगा।
- ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति जो वार्डवार, मौहल्लेवार अनामांकित बच्चों की जवाबदारी सौंपी जायेगी, जिससे उनका नामांकन बढ़ाया जा सकें।
- ❖ बच्चे से संबंधित (चाईल्ड ट्रेकिंग) सूचनाओं का रजिस्टर रखा जायेगा और मीटिंग के समय उनकी चर्चा की जायेगी। जिस परिवार का बच्चा विद्यालय में नही आ रहा है, शिक्षा प्रबन्ध के सदस्यों द्वारा विद्यालय में बुला सामूहिक रूप से बैठक का आयोजन कर आपसी समझाईस के द्वारा बच्चे को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रवेशोत्सव

प्रतिवर्ष 6–14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को शाला से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव जुलाई के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में मनाया जायेगा।

1. स्कूल मैपिंग एवं माइक्रो प्लानिंग की क्रियाविधियों की चर्चा प्रवेशोत्सव में की जायेगी। पूर्व एवं वर्तमान के अनुभवों की चर्चा की जायेगी।
2. अध्यापक विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे बालक/बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव बढ़ सकें।
3. मौहल्ले एवं वार्डों की सभाएँ आयोजित की जायेगी। जिससे वातावरण निर्माण हो सके एवं कुछ फोल्डर, ब्रोशरस एवं साहित्यिक पैम्पलेट्स का निर्माण कर वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।।

4. अध्यापक अभिभावक संघ एवं मातृ/ अध्यापक संघों को विश्वास में लेकर विशेष रूप से लड़कियों के नामांकन हेतु प्रयास किये जायेंगे।

5. बाल मेला – सभी प्राथमिक विद्यालयों में अनामांकित बालकों को आकर्षित करने हेतु बाल मेलों का आयोजन किया जायेगा। जिससे विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक/साहित्यिक/ खेलकूद क्रिया आधारित कार्यक्रम संपादित किये जायेंगे।

7. महिला बैठकें/सम्मेलन – प्रत्येक संकुल स्तर पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। जिसमें महिला उत्थान से संबंधित योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जायेगी। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं का नामांकन व ठहराव की बात की जायेगी। साथ ही ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनकी बच्चियां विद्यालयों में नहीं आती है।

गैर–सरकारी संगठनों के द्वारा किये जा रहे प्रयास

लोक जुम्बिश एवं शिक्षाकर्मी परियोजनाओं में प्रत्येक स्तर पर जिले में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा भी शिक्षा के सार्वजनीकरण में पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जो प्रमुखतया निम्नलिखित है :–

- सेवा मंदिर फतेहपुरा, उदयपुर
- वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर
- आस्था संस्था, उदयपुर
- अरावली वॉलिन्टियर्स, खेरवाड़ा
- मानव कल्याण सोसाइटी, ओगणा
- मंगलमूर्ति इन्दिरा गांधी जनता कॉलेज, डबोक, उदयपुर
- राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाड़ोल
- लोक नायक सेवा समिति, उदयपुर
- कल्याणी समग्र विकास परिषद्, कोल्यारी
- प्रयास संस्था, उदयपुर

❖ सुखाड़िय शिक्षण प्रबन्ध समिति, उदयपुर

❖ आदर्श शिक्षा समिति सेरिया सलूम्बर, उदयपुर

❖ अरावली अनुसंधान विकास सोसायटी, उदयपुर

❖ लोक शिक्षण प्रतिष्ठान, उदयपुर

उदयपुर जिले में एकीकृत बाल विकास योजना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र एवं वातावरण निर्माण की गतिविधियों के साथ महिला एवं बाल विकास का कार्य करते रहे है। जिले के विभिन्न विकास खण्ड़ों में निम्नानुसार यह परियोजना कार्य कर रही है :–

लोक जुम्बिश की विभिन्न गतिविधियों में समन्वयन के साथ कार्य किया जा रहा है।

क्रसं.	जिला	सामान्य लक्ष्य	उपलब्धि	विश्व बैंक लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य योग	उपलब्धि
1	उदयपुर	44300	29505	5100	3756	49400	33261

लोक जुम्बिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के माध्यम से जन जन में शिक्षा के प्रति वातावरण निर्माण कर निरन्तर प्रगति की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता हेतु जिले में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान में विद्यमान राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शाला सामग्री यथा दरी पट्टी दरी फर्नीचर ग्लोब नक्शें चार्ट सहायक अधिगम सामग्री एवं आनन्दायी शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर गुणवत्ता हासिल की जा रही है।

साथ ही विकलांगों, महिलाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी जातियों एवं वर्गों के लिए कार्य किया जा रहा है।

सामर्थ्य निर्माण

जिले में समस्त विभागों से समन्वयन एवं सहयोग के साथ दुर्गम एवं निकट परिस्थितियों में रह रहे जिलों के निवासियों हेतु सभी प्रकार के विकास हेतु प्रयास किया जा रहे है।

1. सामर्थ्य निर्माण के क्षेत्र में गांवों के पढ़ेलिखे युवक एवं युवतियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करते हुए शिक्षण की बागडोर संभालने हेतु तैयार किये जा रहे है। विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं निर्माण के निरन्तर विभिन्न स्तर पर प्रयास कर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

2. जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम शिक्षा समितियों को स्वयं के गांव में शिक्षा व्यवस्था हेतु जागरूकता लाई जा रही है। अप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान कर उनके सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है।

3. औपचारिक वैकल्पिक नवाचार युक्त शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकतानुसार जिले में शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

4. शिक्षा के प्रति सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन हेतु निरन्तर विभिन्न कार्यक्रमों यथा महिला एवं बाल विकास किशोरी मंच अध्यापिका मंच महिला बाल मेलों एवं विभिन्न सामाजिक चेतना कार्यक्रमों के माध्यम से सामर्थ्य का प्रयास किया जा रहा है। समाज में ज्यादा बुराईयों को दूर कर नवीन सोच को विकसित किया जा रहा है।

1. एकल अध्यापिका विद्यालय में और अध्यापक लगाये जाये।

2. जनजाति आश्रम एवं आवासीय विद्यालय छात्रवासों का निर्माण।

3. विकलांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था।

4. आवासीय बालिका शिक्षण शिविर।

5. वंचित वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था।

अध्याय – 4

"सर्व शिक्षा अभियान" – लक्ष्य एवं उद्धेश्य

भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का समुदाय के सहयोग से सार्वजनीनकरण करने का एक प्रयास है। यह 6–14 आयुवर्ग सभी बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी सवैधानिक प्रतिबद्वता के अनुसारण में सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 में इस संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति हुयी है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में दिये गये महत्व के अनुसरण में कई योजनाएँ तथा कार्यक्रम आरम्भ किये गये जिनमें प्रमुखतः आपरेशन ब्लेक बोर्ड (OBB) अनौपचारिक शिक्षा महिला समस्या, गुरुमित्र योजना, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएँ जैसे बिहार शिक्षा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश मे सभी के लिये शिक्षा परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम आदि सम्मलित है ।

प्रत्येक बालक बालिका को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप में ही एक ठोस तर्क है । यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा का मानव कल्याण विशेषकर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, बच्चो का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है । अध्ययनों से ज्ञात होता है Fd सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका अदा करती है ।

4.1 सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण का समयबद्व कार्यक्रम है ।
- पूरे देश में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा
- प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को बढावा देने का एक अवसर

- पंचायतीराज संस्थाओं, शाला प्रबन्धन समितियों ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तीयो की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद, मातृ अभिभावक परिषद, जनजातिय स्वायत परिषदो तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबन्धन में एक प्रयास
- केन्द्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग
- राज्य को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर

प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रुप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओ की तैयारी पर बल देकर समग्र एवं संकद्रित दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रुप में प्रारंभिक शिक्षा कसे सर्व सुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए । इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्ररंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रुप में प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की ।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान क्यो ?

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है परन्तु फिर भी 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड बच्चो में से 5–9 करोड बच्चे स्कूल नहीं जा रहे है । इनमे 3,5 करोड लडकियॉ तथा 2–4 करोड लडके है । ये समस्याए पढाई बीच में छोडने की दर अधिगम उपलब्धि का न्यून स्तर और लडकियों जनजातियो और अन्य वंचित वर्गो की कम सहभागिता से संबंधित है । अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तिया है जहॉ एक किलोमीटर के दायरे मे विद्यालयी सुविधाऍ नहीं है । इसके साथ ही विद्यालयों को अपर्याप्त बुनियादी ढॉचा विद्यालयों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता, शिक्षक रिक्तयों की अधिक संख्या शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियॉ जैसे विभिन्न संबद्ध करण भी है । सार में देश को अभी भी प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण (UEE) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है सभी बस्तियों में विद्यालयी सुविधाए प्रदान कर के शतप्रतिशत नामांकन तथा बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना इसी अन्तर को पूरा करने के लिय सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ।

4.3 सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

★ सभी बच्चों के लिये 2003 विद्यालयी शिक्षा की गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय ''बैक स्कूल'' शिविर की उपलब्धता।

★ सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की विद्यालियी शिक्षा पूर्ण करे ।

★ सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी कर लें ।

★ गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।

★ जन सहभागिता द्वारा भौतिक एवं अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाना।

जेण्डर असमानता तथा सामाजिक वर्गभेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना । वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में ठहराव मे सुनिश्चित करना ।

जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य

❋ वर्ष 2003 तक जिले के सभी विकास खण्डों के तथा नगरीय क्षेत्रें के 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निकटवर्ती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक, शिक्षाकर्मी, राजीव गांधी पाठशालाओं में प्रवेश दिलाना।

❋ सामान्य वर्ग के अलावा विशेष वर्ग यथा दलित वर्ग, शारीरिक एवं मानसिक विकलांग, बालश्रमिक, धुमन्तु जातियॉ, गाड़िया लुहारों, कथौड़ी परिवारों के बालकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

❋ औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से इन्हें विशेष कारणों से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करना तथा इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

❋ शाला से वंचित तथा बीच में ही शाला छोड़ वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

❋ खेल एवं क्रिया आधारित शिक्षण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं हेतु संसाधन उपलब्ध कराना।

❋ बालकों को दरी पट्टी तथा विद्यालयों को फर्नीचर एवं अन्य शैक्षिक उपकरण उपलब्ध करवाना।

❋ विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक सुविधाएँ यथा – कक्षाकक्ष, शौचालय, पेयजल एवं चार दीवारी का निर्माण कराना।

❋ शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु शिक्षकों को बौद्धिक तथा मानसिक संबलन प्रदान करने एवं व्यवसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु प्रभावी एवं दक्ष प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण की व्यवस्था करना।

❋ विद्यालयों के प्रबन्धन में जनसहभागिता सुनिश्चित करना।

अध्याय – 5

पहुँच एवं ठहराव

उदयपुर जिले का 89 प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं छितरी हुई आबादी वाला है। यहाँ पर शैक्षिक सुविधाएँ संख्यात्मक दृष्टि से तो उचित लगती हैं परन्तु भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक–एक वासस्थान के बीच दो–दो पहाड़ियों का अन्तर हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय तो अधिकतर सामान्य दूरी 4–5 किमी. से अधिक हैं। इस कारण से जो बच्चे कक्षा 5 प्रा.वि. से प्राप्त कर लेत हैं, उन्हें उच्च शिक्षा हेतु उचित पहुंच नहीं मिल पाने से दूर–दूर पैदल जाते हैं तथा कई बार नहीं जाते हैं। जिससे नामांकन व ठहराव में विषमता बनी रहती हैं।

उदयपुर जिले में कुल 3527 वासस्थान हैं। जिनमें प्रा.वि. 1671 उ.प्रा.वि. 608 कुल 2279 शिक्षण सुविधाएँ हैं। अतः उदयपुर जिले की सकल पहुँच दर (GAR) निम्नानुसार है –

$$\text{सकल पहुँच दर (प्रा.वि.+उ.प्रा.वि.)} = \frac{\text{विद्यालय सुविधा वाले वासस्थानों की संख्या}}{\text{कुल वासस्थानों की संख्या}} \times 100$$

$$\text{जिला उदयपुर की सकल पहुँच दर} = \frac{2279}{3527} \times 100$$

$$= 64.62$$

इस प्रकार प्रत्येक वासस्थान में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे तथा जो बच्चे दूरी के कारण प्रा. वि. में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान में प्रा.वि. को उ.प्रा.वि. क्रमोन्नत किया जायेगा। तथा शिक्षा गारन्टी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में बदला जायेगा।

निम्न सारणी के अनुसार बदला जायेगा–

सर्व शिक्षा अभियान 2002–10 के तहत विद्यालय क्रमोन्नयन सारणी, जिला उदयपुर

प्रारम्भ की स्थिति	क्रमोन्नयन	क्रमोन्नयन के बाद की स्थिति

सत्र	प्रा.वि.	उ.प्रा वि	ई.जी एस /रागापा	शिक्षाकर्मी	मुक्तांगन	सहज शिक्षा/ शिक्षा मित्र	प्रा वि से उ प्रा वि	ई.जी एस से प्रा वि	शि क से प्रा वि	मुक्तांगन से प्रा वि	सहज शिक्षा से ई. जी.एस.	प्रा वि	उ.प्रा वि	ई.जी एस	शि क	मुक्तांगन	सहज शिक्षा /शिक्षा मित्र
2002–03	1671	608	1765	393	0	0	48	0	0	0	0	1623	633	1751	398	0	0
2003–04	1623	633	1751	398	0	0	175	102	0	0	0	1698	735	1576	398	0	0
2004–05	1696	735	1576	398	0	0	225	75	0	0	0	1846	810	1401	0	0	0
2005–06	1846	810	1401	0	0	0	523	75	0	0	0	2294	885	1226	0	0	0
2006–07	2294	885	1226	0	0	0	175	174	0	0	0	2294	1060	1051	0	0	0
2007–08	2294	1060	1051	0	0	0	175	58	0	0	0	2411	1118	876	0	0	0
2008–09	2411	1118	876	0	0	0	175	58	0	0	0	2528	1176	701	0	0	0
2009–10	2528	1176	701	0	0	0	175	58	0	0	0	2644	1235	526	0	0	0

ठहराव हेतु रोचक शिक्षण तथा कामकाजी बच्चों के लिए नये शिक्षा गारन्टी केन्द्र भी खोले जायेंगे। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में पहुंच सही एवं ठहराव युक्त करने के लिए निम्न वर्षो से प्रा.वि. से उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत होंगे।

2002–03 से 2010 तक 981 विद्यालय ई.जी.एस. से प्रा.वि. में बदले जायेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में स्थान एवं नामांकनानुसार सत्र 2002–03 से 2010 तक शिक्षा गारन्टी केन्द्रों से प्रा. वि. में 1225 केन्द्र बदले जायेंगे।

शिक्षाकर्मी विद्यालयों से प्रा.वि. –

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षाकर्मी विद्यालय से प्रा.वि. में 2002–03 से 2010 तक 243 विद्यालय क्रमोन्नत होंगे।

ई.जी.एस. से प्रा.वि.–

वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित दूर–दराज एवं पहाड़ी क्षेत्रें में हैं, उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र 2002–03 से 2010 तक में निम्नानुसार ई.जी.एस. विद्यालय प्रा.वि. में बदले जायेंगे:–

Year	E.G.S.	Conversion into P.S.	Enrolment in EGS	Enrolment in PS
2002.03	1751		65646	1400
2003.04	1576	175	54928	1400
2004.05	1401	175	43675	1400
2005.06	1226	175	31858	1400
2006.07	1051	175	19451	1400
2007.08	876	175	6424	1400
2008.09	701	175	.7255	1400
2009.10	526	175	.21618	1400

सहज शिक्षा/शिक्षामित्र/वैकल्पिक विद्यालयों की शिक्षा गारन्टी केन्द्रों मे क्रमोन्नयन –

दूर–दराज क्षेत्रें में जो लोक जुम्बिश के सहज शिक्षा केन्द्र/शिक्षामित्र केन्द्रों को सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्रों को शिक्षा गारन्टी केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा। क्रमोन्नयन में लोक जुम्बिश परियोजनान्तर्गत संचालित मुक्तांगन, सहज शिक्षा केन्द्रों, शिक्षा मित्र केन्द्रों में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय – 6

गुणवत्ता शिक्षा

भूमिका :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को जहॉ एक ओर राज्य सरकार तथा विभिन्न परियोजनाऍ अपने–अपने प्रयास से नामांकन के लक्ष्य को प्राप्ति की ओर ले जा रही है। हम मात्र यह देख रहे है कि कितने बच्चे शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने हैं, उसकी रणनीति राज्य से लेकर संकुल स्तर पर तय करते आ रहे हैं व उसका क्रियान्वयन विभिन्न स्त्रेतों व निकायों से पूर्ण करवा रहे हैं।

एक तरफ जो बच्चे हमने दो माह पूर्व शिक्षा से जुड़वाऍ थे, उनमें से 14–20 प्रतिशत तक प्रतिमाह अनियमित व पलायन (विद्यालय छोड़ गए) कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम फिर उन्हें नामांकित कराने की योजना बनाते है या कुछ चिरपरिचित कारणों का हवाला देकर उन्हें हार्ड कोर ग्रुप बालक नाम देकर उसकी फाईल बन्द करना चाहते हैं। हम कब तक बाड़े रूपी विद्यालय में भरना – छोड़ना तथा फिर भरना चालू रखेंगे।

हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि जो बच्चे हमारे प्रयासों से शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें क्या मिल रहा है ? उनके स्तर के अनुसार मिल रहा है ? उनकी रूचि के अनुसार मिल रहा है? आदि। यदि प्रश्नों का उत्तर संतोषप्रद नहीं है तो हमें संभवतया निम्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा :–

- हम क्या सिखाना चाहते हैं व क्यों ?
- जो सीखा वह जीवन में उपयोग आयेगा या केवल विद्वता दर्शाने वाला है।
- सिखाये गए पाठ्यक्रम को किस स्तर के बच्चों ने कितना ग्रहण किया।
- बच्चे को सीखने में रूचि पैदा होती है या उसे एक बोझिल व्यवस्था अनुभव होती है।
- बच्चे स्वयं सीखने का अवसर पाते हैं या केवल निर्देशन आधारित।
- शाब्दिक शिक्षा मिल रही है या करके सीखने वाली अर्थात् व्यावहारिक।

उपरोक्त पहलुओं को देखने एवं अनुभव करने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि हमें नामांकन के सार्वजनीकरण के साथ–साथ गुणत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनीकरण की आवश्यकता सर्वप्रथम करनी होगी।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु लोक जुम्बिश परियोजना वर्ष 1993 से उदयपुर में क्रमशः संकुलवार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपादित कराती आ रही है।

(क) पाठ्यक्रम :— प्रारम्भ में लोक जुम्बिश द्वारा दक्षता आधारित पाठ्यक्रम संचालित किया था। परन्तु सत्र 2000—01 से यह किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अतः अब इसे पुनः सर्व शिक्षा अभियान में चालू किया जाना आवश्यक है।

हम इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाएँगे जो पाठ आधारित न होकर बच्चों में क्षमता/दक्षता का विकास करता हो। बच्चों की आयु एवं बुद्धि ग्राह्यता के अनुसार व व्यावहारिक हो।

इसके लिए पूर्व के वर्षों में दक्षता आधारित पुस्तकों के विशेषज्ञों से पुस्तकें तैयार करानी होगी।

(ख) निःशुल्क पाठ्य—पुस्तकें :— वर्तमान में केवल बालिकाओं हेतु ही कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाते आ रहें है। परन्तु गरीब व पिछड़े वर्ग को भी यह आवश्यकता होगी।

अतः उच्च प्राथमिक स्तर तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को पाठ्य—पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। जिससे प्रत्येक वर्ग आर्थिक कमजोरी के कारण शिक्षा से अछूता नही रहेगा।

(ग) शिक्षक प्रशिक्षण :— वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा अभिमुखीकरण व विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण आयोजित हो रहे है। इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान में भी गुणात्मक शिक्षा एवं रोचक शिक्षा हेतु अध्यापकों को बाल मनोविज्ञान तथ वर्तमान आवश्यकताओं के समन्वय हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से आपसी अनुभव एवं नवाचारों को सीखने—सिखाने का अवसर प्राप्त होगा।

(घ) नियमित अध्यापकों का शिक्षक प्रशिक्षण

चूंकि उदयपुर जिले में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा प्रेरण/अभिमुखीकरण प्रशिक्षण पूर्ण करवा लिए हैं। अतः इनको विषयवस्तु आधारित प्रशिक्षण प्रतिवर्ष 6 दिन व 2 दो दिन अभिनव प्रशिक्षण करवाना उचित रहेगा। जिससे उनके आपसी अनुभव एवं कठिनाईयों के निवारण सामूहिक रूप से सार्वजनिक किए जा सकेंगे एवं एकरूपता रहेगी।

(ii) पेरा टीचर प्रशिक्षण

वर्तमान में छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढाने हेतु पेरा टीचर लगाने की व्यवस्था है। उन्है भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के द्वारा उपयुक्त विधाएं सिखाई जाती है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी नामांकन वृद्धि के आधार पर विद्यालयों में पेरा टीचर्स की नियुक्ति की जावेंगी, जो नीचे की कक्षाओं को पढ़ाएँगे। सर्व शिक्षा अभियान में राजीव गाँधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी स्कूल, मुक्तांगन एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा।

इन पेरा टीचर्स को रोचक शिक्षण विधाओं एवं शैक्षिक नवाचारों की जानकारी व एक–दूसरे के अनुभवों को सार्वजनिक कराने के लिए प्रथम प्रशिक्षण 30 दिवसीय एवं उसके बाद 15 दिवसीय विषयाधारित प्रशिक्षण तथा प्रतिवर्ष 10 दिवसीय अभिनवन प्रशिक्षण कराया जावेगा। जिससे उनमें गुणात्मक शिक्षा (दक्षता आधारित) को ही सार्वजनीनकरण करने की विधाएँ नव सृजित होंगी।

(घ) **शिक्षण अधिगम सामग्री (T.L.M.)** :– वर्तमान में इस हेतु प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक विद्यालय को 500/– रूपयें तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को 1000/– रूपयें दिये जाते है। इसी कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान में भी शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी शिक्षण विधा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा–कक्ष शिक्षण में उपयोग करने के लिए "सर्व शिक्षा अभियान" में प्रति अध्यापक पॉच सौ रूपये प्रतिवर्ष देय होंगे। जिनका तीन चौथाई पैसा विद्यालय में ही बच्चों के साथ बैठकर सामग्री निर्माण में उपयोग किया जावेगा तथा एक चौथाई बाजार से निर्मित सामग्री क्रय की जा सकेगी।

इस प्रकार की सामग्री से बच्चों में "करके सीखने" की प्रवृति, पक्की शिक्षा, आनन्ददायी शिक्षा, व्यवहारिक व स्थायी शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ेगी।

(ड.) स्व–अधिगम/आपसी अधिगमः– पूर्व में तो न्यूअस् कार्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्था थी। वह अब भी कुछ स्तर पर तो यथा स्थिति में चल रही है। परन्तु कुछ में गौण होती जा रही है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी इसे मूर्त रूप में क्रियान्वित कराऐगे। क्यों कि अध्यापक द्वारा सिखाई गई विषयवस्तु को बालक शत–प्रतिशत नहीं सीख पाता है, चूंकि एक तो अध्यापक के शब्द एवं वाक्य उनके स्तर से ऊपर होते हैं। दूसरे बच्चे अध्यापक से दुबारा पूछने में संकोच एवं झिझक अनुभव करते हैं। जिससे बच्चों को एकरूपता से स्वयं के शब्द/ वाक्य

आधारित शिक्षा नहीं मिल पाती है। वह अध्यापक के शब्दों को या पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को हू.ब.हू रटकर प्रस्तुत करता है। जिससे सृजनात्मक ज्ञान न होकर पूर्व धारणा आधारित ज्ञान प्राप्त होता है।

इसके लिए हमें ''सर्व शिक्षा अभियान'' में अध्यापक द्वारा शिक्षण कराने के पश्चात् बच्चों को आपस में बातचीत/चर्चा/गतिविधि द्वारा समझने का अवसर दिया जावेगा। अर्थात् प्रत्येक कक्षा में एक कालांश के पश्चात् 15–20 मिनिट हेतु चर्चा का समय दिया जावेगा। इस गतिविधि से बच्चों में अपनी समस्या समाधान हेतु अपने समूह से हल करवाने की क्षमता का विकास होगा।

(च) **पुस्तकालय पुस्तकें** :– पूर्व में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा पुस्तकालय पुस्तकें व गीजु भाई के साहित्य दिये गये है। परन्तु अब नहीं दिये जा रहे हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए विद्यालयों में पुस्तकालय की पुस्तकें रखी जावेंगी जो बच्चों को पढ़ने हेतु इश्यू की जा सकेंगी। इसके लिए विद्यालयों को 2000 रूपये प्रतिवर्ष अनुदान हेतु दिए जाएँगे। पुस्तकें संस्था प्रधान द्वारा शाला प्रबन्धन समिति से विचार–विमर्श कर सकारात्मक व रोचक साहित्य/पुस्तकें लाई जावेंगी।

(छ) विद्यालय अवलोकन/सम्बलनः– वर्तमान में संकुल स्त्रोत दल/ खण्ड स्त्रेत दल व परियोजना कार्मिकों द्वारा समय–समय पर विद्यालय अवलोकन किया जाता है। व शैक्षिक सहयोग दिया जाता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी विद्यालय में शैक्षिक कठिनाईयों एवं अन्य कठिनाईयों को अवलोकन करके पता लगायेंगे तथा उसका समाधान जहाँ तक हो सके वहीं किया जाएगा अन्यथा अगले अवलोकन से पूर्व विशेषज्ञ/रिसोर्स टीम द्वारा किया जाएगा। ताकि विद्यालयों में आने वाली समस्याओं को लम्बे समय तक नहीं रहने देंगे जिससे गुणवत्ता बाधित नहीं होगी।

यह अवलोकन संकुल रिसोर्स समिति द्वारा किया जाएगा, जो संकुल के अनुभवी एवं रिसोर्स दल के 10–12 अध्यापकों द्वारा होगा। इस दल द्वारा प्रति दो माह में एक बार अवलोकन एवं समीक्षा बैठक रखी जाएगी। नवाचारों एवं अनुभवों को आपस में बाँटा जाएगा। खण्ड स्तर पर भी इस प्रकार की टीम रोचक शिक्षण हेतु रूपरेखा व सुझाव समय–समय पर देगी।

(ज) शिक्षक बालक अनुपातः— पूर्व में 35:1 के अनुसार खण्ड स्तरीय प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित कराने के पश्चात अतिरिक्त अध्यापक लगाऐ गये। परन्तु यह अनुपात पुनः प्रभावित हो गया है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु यह भी आवश्यक है कि एक शिक्षक की पहुंच समग्र रूप से कितने बच्चों तक रहे। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक नियमित अध्यापक तथा चार पेराटीचर नियुक्त होंगे। साथ ही नामांकनानुसार प्रति 40 बच्चों पर एक अध्यापक अतिरिक्त लगाया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी नियमित अध्यापक लगेंगे। चूंकि उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक ही विषय विशेष का ज्ञान करा सकेंगे।

(झ) सतत् मूल्यांकनः— पूर्व में यह दक्षता आधारित होता था। परन्तु वर्तमान में यह पाठ आधारित होता है। अतः पुनः इसे दक्षता एवं सततता आधारित ही मूल्याकंन सर्व शिक्षा अभियान में रखेगे। बच्चों को बिना भय के ही परखना उचित मूल्यांकन होगा। अतः अध्यापक दक्षताअनुसार प्रत्येक बालक का औपचारिक मूल्यांकन प्रति माह/पन्द्रह दिन में करेगा तथा अनौपचारिक रूप से कक्षा तथा बाहर व्यवहार से अंकित करेगा। निदान के पश्चात् तुरन्त उसका उपचार भी करेंगे।

(ञ) विद्यालय अनुदान राशिः— वर्तमान में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को 10,000/—रूपयें तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को 14,000/—रूपयें की सामग्री एक बार ही दी जाती है। जो सभी जगह उपलब्ध नही कराई जा सकी है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय में आवश्यक सुदृढ़ीकरण सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रति वर्ष 2000 रूपये अनुदान दिया जावेगा। प्रधानाध्यापक शाला शिक्षा प्रबन्धन समिति के सहयोग से प्राथमिकता के अनुसार शाला सुदृढ़ीकरण पर इसे खर्च कर शाला शिक्षा प्रबन्धन समिति बैठक में प्रस्तुत करेंगे। जैसे — दरी—पट्टी (बच्चों के लिए) पेयजल टंकी, ध्वज पोल आदि।

(त) अतिरिक्त शिक्षण कार्यक्रम आयोजनः— वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना में यह कार्यक्रम केवल सहज शिक्षा केन्द्रों के बच्चों का ही करवाया जाता है। जो अच्छे परिणाम दायक रहा है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी सभी स्तर पर रखा जाएगा। चूंकि उदयपुर जिले में अधिकतर अनुसूचित जनजाति के बालक—बालिका अधिक है। इनकी स्थिति एवं परिस्थिति ऐसी हैं कि वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ पाते हैं। जिससे उन बच्चों का स्तर सामान्य बच्चों से कम रह जाता है।अतः इस प्रकार के बच्चों को सामान्य शैक्षणिक स्तर

तक लाने के लिए विशेष शिक्षण कार्य अतिरिक्त शिक्षण शिविर/अतिरिक्त कक्षा शिक्षण लगाकर पूर्ण करवाऐंगे। जिससे उनमें गुणवत्ता का स्तर बराबर रहे। इन कक्षाओं हेतु अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद वास्तविक स्तर का पता करके उपरोक्त शिक्षण कार्य तीन माह तक कराया जाएगा। इस हेतु अध्यापक को 3000/– रूपये प्रतिमाह (तीन माह तक) अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेंगे।

(थ) बाल केन्द्रित शिक्षण :– वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना के सहज शिक्षा केन्द्रों तथा सभी विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण तथा रोचक विधाओं को प्रयुक्त किया जाता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी बालकों की शिक्षा उनकी रूचि एवं मनोरंजन वातावरण में दी जायेगी। इसके लिए अधिकतर शैक्षणिक कार्य फील्ड़ में ले जाकर (कक्षा कक्ष से बाहर) समझाया जाएगा। साथ–साथ स्थानीय गीतों, खेलों में विषयवस्तु को पिरोकर प्रस्तुत करेंगे।

बालकों के सीखने के स्तर को समय–समय पर जानने एवं समीक्षा/समस्या समाधान हेतु प्रतिमाह विषयवार एवं प्रति दो माह में समग्र अध्यापक बैठकों का आयोजन किया जावेगा।

5.3.1

उदयपुर जिले में विशिष्ट फोकस ग्रुप के रूप में मजदूर वर्ग, घुमन्तु परिवार, कथौड़ी परिवार, मानसून पर निर्भर परिवार, मौसमी पलायन वर्ग, गाडौलिया लौहार, शहरी कच्ची बस्तियों के परिवार, खानाबदोश परिवार, खनन मजदूर आदि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के रूप में दृष्टिगोचर है। इन अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चे आज भी औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। विशिष्ट फोकस ग्रुप के बच्चों को जोड़ने हेतु विशिष्ट कार्ययोजना बनाई जाकर इनके लिए शिक्षा आपके द्वार अभियान के द्वारा औपचारिक शिक्षा एवं सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र, मुक्तांगन, बालिका शिक्षण शिविर, चल विद्यालय की व्यवस्था लोक जुम्बिश परियोजना के द्वारा वैकल्पिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। जिससे यह वर्ग पूर्ण लाभान्वित हो सके और शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। "शिक्षा आपके द्वार" में वैकल्पिक विद्यालयों को खोलते समय इन समूह की बस्तियों को विशेष प्राथमिकता देकर आगे भी विशेष रूप से प्रयास किया जाना हैं।

आज भी मौसमी पलायन वर्ग, मानसून पर निर्भर परिवार, गाडौलिया लुहार, कथौड़ी परिवार इन समूहों की बस्तियों पर विशेष नजर रख शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

5.3.2 जेण्ड़र संवेदनशीलता

जेण्ड़र संवेदनशीलता समाज की महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच, महिला व पुरूषों की समानता, लिंगानुपात, महिला पुरूषों में सत्ता की भावना, महिला व पुरूषों में कार्य के विभाजन उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता, लिंग भेद के बारें में, समाज में महिला व पुरूषों के बेहतर रिश्तों के बारें में एवं बालक–बालिकाओं के बारे में बात करता है। जेण्ड़र संवेदनशीलता के बारें में वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा गांव–गांव ढाणी–ढाणी, मजरे–मजरे में महिला समूह, प्रेरक दल आदि में महिलाओं की भागीदरारी, ग्राम शिक्षा समिति, महिला समागम मेला, अध्यापिका मंच, किशोरी मंच, स्कूली बालिकाओं की कार्यशाला आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिसके फलस्वरूप महिलाओं में जेण्ड़र समता के प्रति संवेदनशीलता का विकास हुआ है, किन्तु इन गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए "सर्व शिक्षा अभियान" में जेण्ड़र संवेदनशीलता के बारें में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिससे इनको मानसिक रूप से तैयार करें, जिज्ञासा वृद्धि करें, अवसर प्रदान

अध्याय – 7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

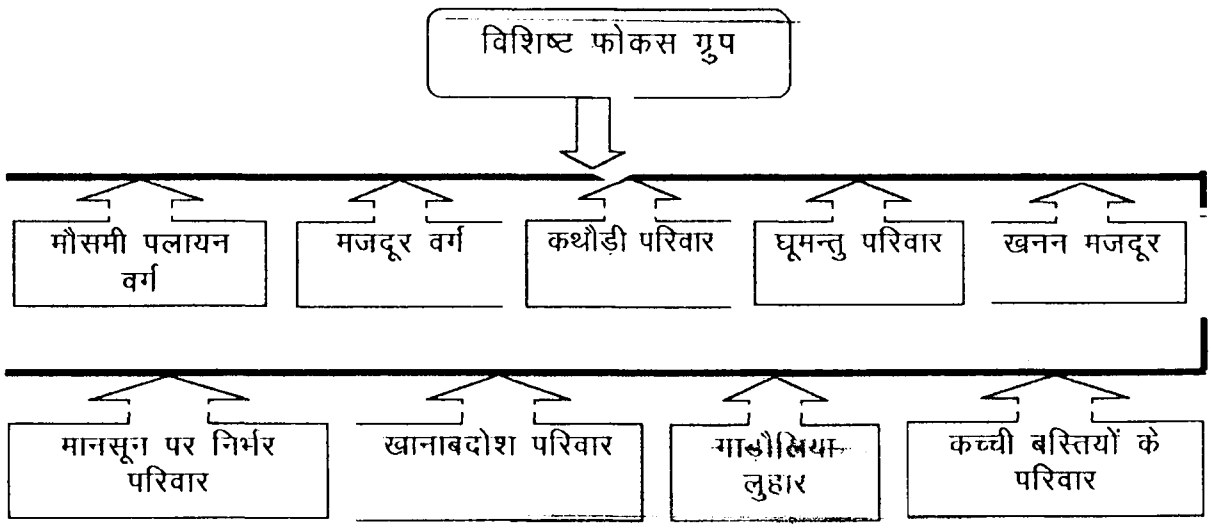

5.3 भूमिका

उदयपुर जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली अंचल में स्थित है। इसका स्वरूप अण्डाकार है। जिसकी उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ी पट्टी है। यह पूर्वी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा पूर्व में भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ पश्चिम में पाली तथा सिरोही सीमाओं से घिरा है। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित गांवों में डैया, अम्बासा, कोटड़ा में आज भी गुजरात सीमा से सटे पूर्ण रूप से जनजाति क्षेत्र है।

जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 6–14 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 57339 में से सर्वाधिक 50718 बालक–बालिकाएँ अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं, जो कुल वंचितों का 88.45 प्रतिशत है। जिनमें जनजाति बालिकाओं की सर्वाधिक संख्या 33123 हैं।

जिले के पांच शहरी क्षेत्रें में 6 से 14 आयुवर्ग की बालक–बालिकाएँ 1449 है। जिनमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं।

जिले की साक्षरता दर 59.26 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 52.52 प्रतिशत है एवं शहरी क्षेत्र की 86.19 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रें में साक्षरता दर न्यून है।

करने में मदद करें, आपसी अनुभवों का आदान–प्रदान करें। ऐसी गतिविधियों का सफल आयोजन सर्व शिक्षा अभियान में किया जाये जिससे समानलिंगानुपात रखा जा सकें। सर्वशिक्षा अभियान में इन परिस्थितियों को विशेष रूप से उभारा गया हैं।

5.3.3 बालिका शिक्षण शिविर

सर्वे में चिन्हित 8 से 14 आयुवर्ग के बालक/बालिकाएँ जो कभी विद्यालय जा नहीं पाये हैं अथवा कक्षा 1 से 3 के मध्य ही अध्ययन करते हुए विद्यालय छोड़ चुके हैं, को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बालिका शिक्षण शिविर हैं।

बालिका शिक्षण शिविर के माध्यम से 3 माह से लेकर 7 माह की अवधि के लिए बालक–बालिकाओं को आवासीय शिविरों में रखकर अधिगम मंजूषा को पूर्ण करवाया जाता है। चूंकि बालिका शिक्षण शिविर में अध्ययन करने वाले बालक–बालिकाएँ उम्र में बड़े होते हैं, अतः इनके सीखने की गति पर्याप्त रहती है, जो कम अवधि में शिक्षण–अधिगम के निर्धारित मानदण्ड़ को पूरा कर लेते हैं।

लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा बालिका शिक्षण शिविर के लिए विशेष रूप से 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षणों में माध्यम से प्रशिक्षित पेराटीचर इन्हें हर संभव संबलन देते हैं तथा उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध करावकर तीव्र प्रगति में बढ़ने को प्रेरित करते है। इस प्रकार 3 माह तथा 7 माह के प्रशिक्षण शिविरों में बालिकाओं को क्रमानुसार साप्ताहिक, मासिक टेस्टों के आधार पर प्रति माह में मूल्यांकन कर प्रगति की जानकारी हासिल करते हैं।

बालिका शिक्षण शिविर में सर्वे के अतिरिक्त भी शेष बालक–बालिकाओं को सम्मिलित किया जा सकता हैं एवं निश्चित परिणाम प्राप्त होने पर उचित स्तर की औपचारिक परीक्षा दिलवाई जाकर वह औपचारिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाता है तथा जिन तहसीलों में आवासीय हॉस्टल हैं, उनमें इन बालिकाओं को प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जाता है।

इस प्रकार लोक जुम्बिश परियोजना, उदयपुर द्वारा कुल 11 विकास खण्ड़ों में 16 बालिका शिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया जा रहा हैं। जिनमें धरियावद में 1, कोटड़ा में 1, गोगुन्दा में 1, सलूम्बर में 1, भीण्डर में 1, खेरवाड़ा में 1 सराड़ा में 1 कुल– 7 शिविर पूर्ण हो चुके हैं। तथा शेष 10 शिविर सफलतापूर्वक संचालित हैं। जिनमें बालिकाओं का कुल नामांकन 1384 तथा पेराटीचर्स–65 कार्यरत हैं। समाज द्वारा लोक जुम्बिश द्वारा चलाये जा रहे

इन बालिका शिक्षण शिविर की गुणवत्ता क्रियान्वयन की शैली एवं सफल संचालन की समग्र प्रशंसा की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान में बालिकाओं की शिक्षा जिसमें जनजाति व अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों की शिक्षा आदि में विशेष स्थान दिया गया है।

5.3.4 निःशक्त बालक–बालिकाओं के लिए समेकित शिक्षा

विकलांगता एक महत्वपूर्ण घटक है। "सर्व शिक्षा अभियान" के लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को पाने के लिए यह आवश्यक है कि उन बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जाये जिनमें किसी भी प्रकार की विकलांगता है।

सबसे ज्यादा भ्रम यह है कि जो विकलांग है वे परिवार व समाज के लिए बोझ हैं। अन्धविश्वास और विकलांगों के प्रति गैर विकलांग लोगों की भावनात्मक संबंधों की कमी के कारण, समुदाय और परिवार के भीतर जागरूकता और स्वीकार्यता की कमी है।

समाज में विकलांग बच्चों की स्थिति काफी शोचनीय है। आमतौर पर इन बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं को सही तरह से समझा नहीं जाता और वे उपेक्षित होकर शिक्षा से वंचित रह जाते है। कुछ विकलांग बच्चे औपचारिक शिक्षा से जुड़े भी हैं, मगर उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

वर्तमान में उदयपुर जिले में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा निशक्तजनों के प्रति संवेदनशीलता के क्रम में समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा समस्त ब्लॉकों में अध्यापक, अभिभावक एवं निशक्त बालक–बालिकाओं की कार्यशाला के माध्यम से समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अन्तर्गत आवासीय व गैर–आवासीय एवं बालमेले व शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निशक्तजनों के प्रति संवेदनशीलता एवं समाज में सकारात्मक सोच तथा निशक्तजनों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना स्वीकार की गई है :–

* सर्वे करना।
* निशक्त बच्चों की पहचान करना।
* विकलांगता के प्रकार की पता करना।
* सहायता एव उपकरण उपलब्ध करवाना।

★ रचनात्मक विभेद दूर करना।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर निशक्त बच्चों की पहचान की जाकर उनके बच्चों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना ही सर्व शिक्षा अभियान का दृष्टिकोण है। इस अभियान में रचनात्मक विभेद दूर करने और उन्हें एड एण्ड एप्लाईन्सेज उपलब्ध कराना सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष निशक्त बालक–बालिका को 1200 रूपये प्रतिवर्ष सहायता प्रावधान रखा गया है। इसके अन्तर्गत जिला स्तर पर एक कार्ययोजना बनाई जाकर इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

5.3.5 व्यवसायिक कक्षाओं का आयोजन

विशिष्ट फोकस ग्रुप के अन्तर्गत रूप में मजदूर व घूमन्तु परिवार, कथौड़ी परिवार, मानसून पर निर्भर परिवार, मौसमी पलायन वर्ग, गाड़ौलिया लुहार, कच्ची बस्तियों के परिवार एवं खनन मजदूर वर्ग के बालक बालिकाएँ जो शिक्षा की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाते हैं तथा उदयपुर जिला जनजाति क्षेत्र होने से तथा यहाँ के निवासी बिखरी हुई बस्तियों में रहने के कारण आज भी ये वर्ग शिक्षा की मुख्यधारा से पूर्णतः जुड़ नहीं पाये हैं। लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा किशोरी बालिका कार्यशाला के माध्यम से इन्हें सिलाई करना, बुनाई करना, मेहन्दी, चार्ट एवं पोस्टर बनाना, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध संसाधनों द्वारा बच्चों के खिलौनों आदि की जानकारी दी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान में व्यवसायिक कक्षाओं का आयोजन कर इन बालक बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने तथा शिक्षा के प्रति इनकी ललक पैदा करने के लिए व्यवसायिक कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा।

5.3.6 घुमन्तु परिवार एवं मानसून पलायन वर्ग, खानाबदोश

उदयपुर जिले में घूमन्तु परिवार जैसे– बनजारा, कालबेलिया, कंजर तथा खानाबदोश के रूप में गाड़ौलिया लोहार निवास करते हैं। इनमें भी उदयपुर जिला गुजरात राज्य से जुड़ा होने की वजह से तथा मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहने वाले लोग गत कई वर्षो से अकाल की चपेट में होने के कारण मौसमी पलायन कर जाते हैं।

लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा वर्तमान में ऐसे परिवारों के बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के प्रयास के रूप में अल्पकालीन हॉस्टल संचालित किये जा रहे हैं। ताकि जो परिवार रोजगार की तलाश में निश्चित अवधि तक बाहर जाते हैं और पुनः आते हैं,

ऐसे परिवार के बालक एवं बालिकाओं को इस अवधि के दौरान शिक्षा की मुख्यधारा से ये बालक जुडे रहे, से वे ही बालक हैं जिन्हें हार्डकोर के बच्चों के रूप में जाना जाता है। इनके सफल आयोजन से इन परिवारों के लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। उदयपुर जिले में कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा, खेरवाड़ा, गिर्वा एवं बड़गाँव आदि पंचायत समितियों में ऐसे परिवार अपेक्षाकृत अधिक है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे परिवारों के बालक–बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु 3000 रुपये प्रति बालक/बालिका का प्रावधान रखा गया है। परन्तु इसमें अधिकतम् 100 बालक/बालिकाओं को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जायेगा।

5.3.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा

उदयपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अपेक्षाकृत अधिक लोग निवास करते हैं तथा यह क्षेत्र अरावली की पहाडियों में स्थित है। भौगोलिक स्थिति के रूप में ऊँची पहाड़ियाँ एवं नीची घाटियाँ हैं। इन जनजातियों के लोग बिखरी हुई बस्तियों के रूप में निवास करना ज्यादा पसन्द करते हैं तथा ऐसे स्थानों के बच्चे प्रायः मजदूरी, मवेशी चराने, बकरियाँ चराने पर जाते हैं। ये बच्चे कामकाजी बच्चे जो शिक्षा से परे हैं, वर्तमान में ऐसे बच्चों के लिए लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा सहज शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र केन्द्र खोलकर इनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उदयपुर जिले में शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में ऐसे बालक–बालिका निवास करते हैं जो कचरा बिनना, भीख मांगना, डेरों में रहने वाले परिवारों के बालक–बालिका, झुग्गी–झोपड़ियों में निवास करने वाले बालक–बालिका हैं, जिनको लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा चल विद्यालय संचालित कर शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में ऐसे कामकाजी बालक–बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा में जोडे जाने स्वरूप 845 रूपये प्रति बालक–बालिका प्रति वर्ष शिक्षण पर खर्च किये जाने का प्रावधान है, जिनको "शिक्षा गारन्टी योजना" के रूप में जाना जायेगा।

तहसील कोटड़ा की स्थिति

"एक नजर में"

पंचायत समिति का कुल क्षेत्रफल – 1191.51 वर्ग किमी.

	पुरूष	स्त्री	योग
जनसंख्या, 2001 का विवरण			

कुल परिवार – 35000
जनसंख्या घनत्व – 154 प्रति वर्ग किमी.
जनसंख्या में स्त्री–पुरूष का अनुपात, 2001 के अनुसार, पुरूष – 980 महिलाएँ – 980 समान है।
राजस्व ग्राम की संख्या – 304
ग्राम पंचायतों की संख्या – 36
पटवार मण्डल सख्या – 29
भू–अभिलेख वृत्त – 4
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी
अ – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 1 कोटड़ा
ब – प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र – 6, मामेर, माण्डवा, बिकरणी, बेकरिया, मालवाचौरा, पड़ावली कला
स – उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र – 2, महाड़ी व जोगीगढ़
द – उपस्वास्थ्य केन्द्र – 43

प्राथमिक स्वास्थ्य सेक्टरवाइज़ उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

1. कोटड़ा– गांधी सरणा, पाथरपाड़ी, गऊपीपला, बड़ली, बिलवन, जोगीवड़, जुड़ा
2. मामेर – लूक, राड़ा, माण्डवारा, मेड़ी, महाद, महाड़ी, सावनक्यार, बोड़ीकला
3. बिकरणी– सुलाव, कागवारा, कोलिया, नयावास, पेराकतेरा, थेप
4. माण्डवा – आंजनी, जेड, सामोली, कूकावारा
5. बेकरिया – क्यारी, लहरचा, तेजावास, देवला, मेरपुर, टेपू, गोगरूद्व
6. मालवा का चौरा – उखलियात, मेवाडों का मठ, बेरण, डांग
7. पड़ावली – पड़ावली खुर्द, वास, समीजा, मण्डेड़ा, अम्बावा

आयुवेर्दिक चिकित्सालय – 10 निम्न गांवों में है –
कोटड़ा, नयावास, माण्डवा, सामेरी, देवलाचौरा, मालवाचौरा, पड़ावली कला, वास, गुरा, जोगीवाड़।

साख संस्थाएं :–

अ– पंजाब नेशनल बैंक–2, कोटड़ा, मालवाकाचौरा
ब– दी बैंक ऑफ राजस्थान नि. मामेर
स– मेवाड़ ग्रामीण आंचलिक बैंक – 1 कोटड़ा
द लैम्पस् 8, कोटड़ा, बड़ली, मामेर, माण्डवा, बिकरणी, देवला, क्यारी, वास

पुलिस थाना – 3
कोटड़ा, माण्डवा, बेकरिया

पुलिस चौकी – 4
बिकरणी, मामेर, मालवा का चोरा, जुड़ा

कोटड़ा उदयपुर जिले का जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड है, जो जिले के पश्चिमी छोर पर जिला मुख्यालय से 125 किमी. दूरी पर स्थित है। सिरोही जिला इसके पश्चिम में स्थित है तथा दक्षिण गुजरात राज्य के साबरकाटा जिले की सीमाओं से लगा हुआ है। विकास खण्ड दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र फेला हुआ है। यहाँ अरावली की पहाड़िया एवं घने जंगल फेले हुए है। क्षेत्र में मुख्यतः बावरिया, भील, खैर, गरासिया, गमार, गमेती, कथौड़ी जनजाति बहुतायत निवास करती है। जिनका आर्थिक स्तर ठीक नही है। क्षेत्र वाकल सहित, साबरमती नदियॉ मुख्यतः बहती है। अधिकतर गांव जंगलों एवं पहाड़ियों के बीच बसे होने के कारण तथा गांवों तक कोई साधन सुविधा उपलब्ध नही होने के कारण इस क्षेत्र के दूर–दराज के अधिकतर लोग 10–12 किमी. पैदल चलकर यातायात से जुड़ते है। यह क्षेत्र शिक्षा, औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। पूर्व में विकास खण्ड में मुलभूत सुविधाऍ उपलब्ध नही होने के कारण इसे "राजस्थान के काले-पानी" के नाम से जाना जाता था। शनैः शनैः अब यह विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। क्षेत्र में अभी भी चिकित्सा, यातायात, दूर–संचार, विद्युत आदि की पर्याप्त सुविधाऍ उपलब्ध नही है। क्षेत्र के विकास में शिक्षा की कमी बहुत बड़ा गतिरोध है। विद्यालयों में बच्चों के ठहराव की कमी है। बहुत से स्थानों पर विद्यालय भवनों की कमी हैं। अधिकांश जगहों में भवनों की जर्जर स्थिति है। साथ ही अध्यापकों का विद्यालयों में नियमित न जाना एवं पदों की रिक्तता लम्बे समय तक बने रहने से शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहा है। जिले में चल रहे "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम के कारण यहाँ शिक्षा की ज्योति गांव–गांव ढाणी–ढाणी पहुंच रही है।

राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य तहसील कोटड़ा में 86 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते है। इस आदिवासी क्षेत्र को राजस्थान राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो यह विकास खण्ड 125 किमी. की परिधि में फेला हुआ है तथा राजस्थान राज्य की कोटड़ा तहसील में पूर्व से महिला की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम् है।

सामाजिक एव सास्कृतिक परिदृश्य :

राजस्थान की सर्वाधिक पिछड़ी एवं जनजाति तहसील में अलग–अलग परम्पराएँ, रीति–रिवाज एवं कुरीतियों का यहा पर प्रचलन हैं। यहा का जन–जीवन कई दृष्टियों से भिन्नता लिए हुए है, जहा लड़कियों के पैदा होने पर खुशी का इजहार किया जाता है। गांवों को यहा फले के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने घरों का निर्माण पास–पास नही करते है। बल्कि दूर–दूर पहाड़ों पर अपने घरों का निर्माण करते है और अपने खेतों पर ही मकान बनाकर रहते हैं। जिसका कारण यह है कि ये लोग अपने खेतों की निगरानी अच्छी प्रकार से कर सके। यह इनकी परम्परा को दर्शाता है।

एक परिवार में परिवार के सभी सदस्य और जानवर, पशु साथ–साथ रहते हैं। मकान के एक हिस्से में पशु रहते तो दूसरे हिस्से में परिवार के सदस्य स्वयं रहते हैं। बहुत सारे परिवारों में सर्दी की रातों में पशु को मकान में रखते हैं और इन्सान बाहर उनकी निगरानी करने के लिए सोता है। मकान को यहां पर "खोलरा" कहा जाता है। इस जनजाति के लोगों में लड़के की अपेक्षा लड़की होने पर अधिक खुशियां मनायी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लड़की की शादी के समय लड़के वालों से प्राप्त होने वाला पैसा जिसे "दापा" कहा जाता है, यह राशि 5000/–रूपये से कहीं अधिक हो सकती है।

भले ही अपने मकान दूर–दूर बनाकर रहते हो, फिर भी–यह एक समाज में रहते हैं। एक जाति वालों का सामान्यतः एक ही फले मे निवास होता है। इनकी सामाजिकता इसी से प्रमाणित होती है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, शादी हो या किसी की हत्या कर दी जाये तो ये ढोल बजाकर इसकी सूचना गॉव वालों को देते हैं। शादी, मृत्यु और हत्या के लिए अलग–अलग साज से ढोल बजाए जाते हैं, जिससे यह समझ में आ जाता है कि यह ढोल इस बात के लिए बजाया गया है।

अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है तो उसके लिए जो ढोल बजाया जाता है वो "वारिढोल" के नाम से जाना जाता है। कोटड़ा निवासी दुर्गादेवी का विचार है कि "इस ढोल की आवाज सुनते ही उस फले के सभी लोग वहॉ पहुँचते हैं, जिस घर वाले ने ढोल बजाया है। ये अपने धनुष–बाण लेकर के एकत्रित होते हैं और तय करते है कि क्या किया जाये। अगर हत्यारे का पता चलता है कि पास के ही किसी गॉव वाले ने हत्या की तो सभी उस गॉव पर चढ़ाई करते हैं और उससे पैसे लेते हैं, जिसे "वैरलेना" कहा जाता है। अगर वैर नहीं देता है तो उस सारे गॉव को लूट लिया जाता है और घरों को आग लगा दी जाती है। वैर का फेसला जब तक नहीं हो जाता तब तक उस लाश को भी नही जलाया जाता, चाहे लाश वहीं खराब क्यों न हो जाये।

अगर किसी हत्यारे का पता नही चलता तो उस व्यक्ति का नाम आता है, जिसका सबसे पास में मकान है या लाश जिस मकान के पास पड़ी है। अगर हत्या खेत में हुई है और पता नहीं चलता कि हत्या किसने की है तो उस खेत में एक पत्थर रख दिया जाता है और अगर कोई उस पत्थर को हटाता है तो उसी का नाम आता है और उसी से वैर वसूल किया जाता है।

समाज में जो पिता का स्थान ही सर्वोच्च होता है। लड़के–लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही हो जाती है। ज्यादातर लड़के व लड़किया अपनी इच्छा से ही व पसन्द से ही विवाह करते हैं। शादी से पहले ही दो या तीन बच्चे हो जाते हैं और लड़का व लड़की साथ–साथ रहते हैं। इसे इस समाज में बुरा नही समझा जाता है। ज्यादातर लड़के प्रेम विवाह ही करते हैं। शादी में दहेज भी दिया जाता है। पुनर्विवाह की प्रथा भी इनमें पायी जाती हैं। लोग 60–70 साल की उम्र में भी

पुनर्विवाह करते हैं। बहुपत्नी प्रथा भी यहां प्रचलित है। समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब है। महिलाएँ पुरूषों से ज्यादा कार्य करती हैं।

इन लोगों के आपसी फेसले पंचायत में होते हैं, अगर कोई पंचायत होती है तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है और अन्य सभी लोग सुनते है। बहस ये लोग नही करते हैं तथा बड़ों व अतिथि का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। चलते समय ये लाईन बनाकर चलते हैं और बड़ों को हमेशा आगे रखते हैं। यहां अधिकांश लड़ाईयाँ महिलाओं को लेकर होती हैं। जिसमें शक की बुनियाद पर भाई–भाई की हत्या कर देता है।

व्यक्ति की मृत्यु होने पर 12 दिन बाद जो 12वां किया जाता है, उसे "काण" कहा जाता है और मृत्यु भोज को "लोकायी" कहा जाता है। लोकायी में सभी गॉव वालों का हिस्सा होता है, जिसमें मीठे चावल बनाये जाते है।

लुटमार भी यहाँ खूब होती है। अगर किसी को लूटा जाता हैं और वह अपना सामान स्वैच्छा से देता है तो भी ये उसे पीटकर ही सामान लेते हैं, इसके पीछे यह धारणा है कि उन्होंने भीख नहीं ली, बल्कि मेहनत करके प्राप्त किया।

यहां के समाज में नेवटी के मेले का भी बहुत महत्व है। नेवटी गुजरात राज्य के देलवाड़ा के पास एक स्थान है, जो साबरमती नदी के किनारे है। इस मेले में मुख्यतः मृतक की अस्थियॉ विसर्जित की जाती है। इसमें एक लाख से भी ज्यादा आदिवासी महिला और पुरूष भाग लेते है। इसी मेले में लड़के और लड़कियां एक–दूसरे को पसन्द करते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं।

यहां के लोग ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। अभिवादन में ये लोग राम–राम करते हैं। इनके यहां मन्दिर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि देवरे पाए जाते हैं। भले ही ये राम–राम करके अभिवादन करते हो, लेकिन राम–सीता, कृष्ण, शिव व हनुमान की मूर्तियॉ इनके देवरों में नही पायी जाती है। उनके स्थान पर स्थानीय देवताओं बावजी, सतीमाता, खेतला जी, कडुबावजी की मूर्तियॉ पाई जाती हैं। देवरों पर भोपे भी होते हैं। रात–रात भर भजन–कीर्तन होते हैं और पशु बलि भी दी जाती है। चोर व साहूकार को कसम दिलवाई जाती है, जिसे "धीज कराना" कहा जाता है। मोलेला गांव से मृतक के नाम से मूर्तियॉ लाते हैं और उन्हें देवरों में चढाते हैं। मोलेला गांव से मूर्ति लाने से लेकर मूर्ति प्रतिस्थापित करने तक ये लोग इन मूर्तियों को जमीन पर नही रखते हैं, जिसे "हिंगाना" कहा जाता है।

ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं। गमेती जनजाति के लोग पाड़ा (भैंसा) का मांस भी खाते हैं।

त्यौहारों में लोग विशेष रूचि लेते हैं। होली एवं दीपावली का त्यौहार यहाँ बहुत धुमधाम से मनाया जाता है। आठ दिन तक यहा इस उत्साव का माहौल रहता है और नाचते हैं, इन नाचने वाले समूहों को "गैर" कहा जाता है। इस समय महिलाएँ भी खूब शराब पीती है। रात–रात भर इनके नृत्य चलते रहते हैं। ढोल के थाप पर थिरकते पैर हर किसी का मन मोह लेते है।

अंतिम संस्कार के रूप में यहां जलाने व दफनाने दोनों प्रथाएँ पायी जाती हैं। जलाने के समय गांव वाले अपने–अपने घर से एक–एक लकड़ी लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार पूर्ण करते हैं। छोटे बच्चों, भक्त, भोपें और सन्तों को दफनाया जाता हैं और उनकी समाधि भी बनायी जाती है। कोटड़ा क्षेत्र की इन सामाजिक, धार्मिक एवं पिछड़ेपन की स्थिति को छिन्न–भिन्न करने का एक ही रास्ता है, कि समाज में ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना, जो पुराने को छोड फैंकने नूतन के सृजन की शक्ति बन सकें।

सर्व शिक्षा अभियान में समस्त गतिविधियों के संचालन में सामुदायिकता भागीदारी आवश्यक है। अतः राजस्थान में सबसे न्यूनतम् साक्षरता दर कोटड़ा तहसील में है, जिसमें महिला 11.14 पुरूष 37.55 योग 24.52 है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में संचालित समस्त गतिविधियों का समावेश इस तहसील के उत्थान हेतु आवश्यक होगा।

नवाचार

भूमिका

उदयपुर जिले की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप सामान्य समुदाय के साथ संचालित होने वाली गतिविधियाँ गुणात्मक रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। अतः इस प्रकार के समुदाय एवं स्थान विशेष को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य गतिविधियों से हटकर नई सोच एवं गतिविधियों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नवाचार है।

बालिका शिक्षण शिविर

सर्वे में चिन्हित 8 से 14 आयुवर्ग के बालक/बालिकाएँ जो कभी विद्यालय जा नहीं पाये हैं अथवा कक्षा 1 से 3 के मध्य ही अध्ययन करते हुए विद्यालय छोड़ चुके हैं, को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बालिका शिक्षण शिविर है।

बालिका शिक्षण शिविर के माध्यम से 3 माह से लेकर 8–9 माह की अवधि के लिए बालक–बालिकाओं को आवासीय परिस्थितियों में निर्धारित शिविरों में रखकर अधिगम मंजूषा को पूर्ण करवाया जाता है। चूंकि बालिका शिक्षण शिविर में अध्ययन करने वाले बालक–बालिकाएँ उम्र में बड़े होते हैं, अतः इनके सीखने की गति पर्याप्त रहती है, जो कम अवधि में शिक्षण–अधिगम के निर्धारित मानदण्ड को पूरा कर लेते हैं।

लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा बालिका शिक्षण शिविर के लिए विशेष रूप से 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षणों में माध्यम से प्रशिक्षित पेराटीचर इन्हें हर संभव संबलन देते हैं तथा उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध करवाकर तीव्र प्रगति में बढ़ने को प्रेरित करते है। इस प्रकार 3 माह तथा 7 माह के प्रशिक्षण शिविरों में बालिकाओं को क्रमानुसार साप्ताहिक, मासिक टेस्टों के आधार पर प्रति माह में मूल्यांकन कर प्रगति की जानकारी हासिल करते हैं।

बालिका शिक्षण शिविर में सर्वे के अतिरिक्त भी शेष बालक–बालिकाओं को सम्मिलित किया जा सकता है एवं निश्चित परिणाम प्राप्त होने पर उचित स्तर की औपचारिक परीक्षा दिलवाई जाकर औपचारिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाता है तथा जिन तहसीलों में आवासीय हॉस्टल हैं, उनमें इन बालिकाओं को प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जाता है।

इस प्रकार लोक जुम्बिश परियोजना, उदयपुर द्वारा कुल 11 विकास खण्डों में 16 बालिका शिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। जिनमें धरियावद में 1, कोटड़ा में 1, गोगुन्दा में 1, भीण्डर में 1, खेरवाडा में 1, सराड़ा में 1, सलूम्बर में 1 कुल– 7 शिविर पूर्ण हो

चुके हैं। तथा शेष 9 शिविर सफलतापूर्वक संचालित हैं। जिनमें बालिकाओं का कुल नामांकन 1384 तथा पेराटीचर्स–65 कार्यरत हैं। समाज में लोक जुम्बिश द्वारा चलाये जा रहे इन बालिका शिक्षण शिविर की गुणवत्ता क्रियान्वयन की शैली एवं सफल संचालन की समग्र प्रशंसा की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान में बालिकाओं की शिक्षा जिसमें जनजाति व अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों की शिक्षा आदि में विशेष स्थान दिया गया है।

जनजातिय आवासीय छात्रवास

उदयपुर जिले में 11 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। अकाल एवं गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि ऐसे स्थानों में जनजातीय आवासीय छात्रवास खोले जाये। वर्तमान में उदयपुर जिले में अल्प कालीन छात्रवास कुल तीन संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक जनजाति आवासीय छात्रवास खोला जायेगा।

उपचारात्मक शिक्षण

ऐसे कामकाजी बालक जिनमें पढ़ने के प्रति ललक होती है, किन्तु पर्याप्त साधन सुविधाओं के अभाव में वे अपने आपको अन्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर महसूस करते हैं। एवं जिन बच्चों की विषय विशेष की कमजोरी होती हैं। उन बालकों के लिये परीक्षा से पूर्व 15 दिवसीय आवासीय उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी शैक्षणिक कमजोरी दूर की जाती है। जिससे वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित सहज शिक्षा केन्द्र में अध्ययनरत कक्षा 5 वीं का 10 दिवसीय उपचारात्मक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बालक एवं बालिका अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 5 एवं कक्षा 8 के उपचारात्मक शिक्षण पर शिविर लगाये जायेंगे। एवं विषय विशेष की कमजोरियों को दूर करने हेतु विषयवार उपचारात्मक केन्द्र भी प्रस्तावित किये जाऐगें।

कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम

परीक्षार्थी	योग
कुल परीक्षार्थी	33891
प्रथम श्रेणी	13645
द्वितीय श्रेणी	12918
तृतीय श्रेणी	6236
उत्तीर्ण	
कुल उत्तीर्ण	32799
कुल उत्तीर्ण प्रतिशत	96.77 %

स्त्रेत – जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय

कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम

परीक्षार्थी	छात्र	छात्र	योग
कुल परीक्षार्थी	13408	7635	21043
प्रथम श्रेणी	3672	2435	6107
द्वितीय श्रेणी	4146	2414	6560
तृतीय श्रेणी	2312	1020	3332
कुल उत्तीर्ण	10130	5869	15999
कुल उत्तीर्ण प्रतिशत	75.55 %	76.87 %	76.06 %

स्त्रेत – जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय

संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से जिले का कक्षा 5 एवं कक्षा 8 का बोर्ड परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है।

आदर्श विद्यालय की स्थापना

ग्रामीण परिवेश में 10 या 12 प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर या सम्मिलित कर उ.प्रा. विद्यालयों का एक नॉडल केन्द्र बनाया जाता है। विद्यालय आकर्षक हों, आकर्षण का केन्द्र बने

तथा जिसमें आनन्ददायी शिक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार के उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापना की जायेगी। ऐसे विद्यालय में सभी प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएँ मुहैया कराई जायेंगी। पर्याप्त कक्षाकक्ष का निर्माण कराया जायेगा। सभी तरह की शैक्षणिक सुविधाएँ खेल सामग्री, पुस्तकालय, अधिगम अध्ययन सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। ताकि 10 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक–अध्यापिकाओं के लिए ये विद्यालय प्रेरणादायी हो। शिक्षा में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुए इन 10 विद्यालय के अध्यापकों में से कुछ अध्यापक एवं अन्य सदस्यों को बुलाकर एक टीम गठित की जायेगी जो स्वयं भी कभी–कभी पाठ्य प्रदर्शन भी करेगी तथा गुणवत्ता बनाये रखने में अपेक्षित सुझाव देगी।

— शैक्षिक उन्नयन कमेटी के निम्न सदस्य होंगे —

- आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
- प्राथमिक विद्यालय के विज्ञान अध्यापक।
- प्राथमिक विद्यालय के गणित अध्यापक।
- प्राथमिक विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक।
- संकुल प्रभारी, लोक जुम्बिश परियोजना।
- एक सेवा निवृत्त अधिकारी।
- एक जागरूक महिला कार्यकर्ता।

सर्व शिक्षा अभियान में ऐसे आदर्श विद्यालय की स्थापना की जायेगी जो अध्ययन का एक केन्द्र बिन्दु हो तथा इसे लघु शोध संस्थान के रूप में स्थापित किया जा सके।

स्कूली एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन

बालिका शिक्षा की दर इस जिले में कम होने की वजह से शैक्षिक माहौल बनाने हेतु स्कूली एवं अनौपचारिक विद्यालय की बालिकाएं और शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए कार्य ालाएँ आयोजित की जायेगी। जिनमें बालिकाओं को शैक्षिक महत्ता, कौ ल, गृहकार्य में दक्षता, घर की साज–सज्जा के कार्य आदि के साथ–साथ शैक्षिक गतिविधियों से भी जोड़ा जायेगा। बारां जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में चार–चार कार्यशाला आयोजित करवाये जाने का प्रावधान रखा गया हैं।

चरागाह विद्यालय

उदयपुर जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्रें में बसे लोगों के पास उपजाउ जमीन का अभाव होने से इस क्षेत्र के लोग जीविकोपार्जन हेतु नजदीक के कस्बों या शहर की ओर मजदूरी हेतु चले जाते है और बच्चों को मवेशी चराने जंगल में भेज देते हैं। जिससे ये बच्चे शिक्षा से जुड नहीं पाते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उदयपुर जिले में लोक जुम्बिश परियोजना, झाड़ोल में तीन चरागाह कम शिक्षा मित्र केन्द्र खोले। जिसमें ये हार्डकौर बालक जो विद्यालय या केन्द्रों में नहीं जा पा रहे थे, को जोड़ा गया। केन्द्र का स्थान बच्चों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों पर किया गया जहाँ ये बच्चे पशुओं को चराने जाते हैं या पशु जहाँ पानी पीने आते हो, और विश्राम करते हो। अनुदेशक उन बच्चों को वहाँ इकट्ठा करके शिक्षा कार्य करवाता है। बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, पूर्ण मनोयोग से पढ़ सकें, इस हेतु पशुओं की देखभाल हेतु सहायिका लगायी गई, जो उन ग्वाल जाने वाले बच्चों के पशुओं का ध्यान रखती है। यद्यपि लोक जुम्बिश परियोजना झाड़ोल में प्रारम्भ में तीन चरागाह कम शिक्षा मित्र केन्द्र (मोबाईल) केन्द्र ही खोले थे और प्रगति व उसका परिणाम आशानुरूप रहा और ऐसे हार्डकोर बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा। ऐसे बच्चों हेतु यदि ऐसे हीं विद्यालयों की व्यवस्था की जाए तो ये निश्चय ही शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं और शिक्षा का सार्वजनीनकरण का सपना साकार हो सकता है।

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम

अंग्रेजी में कहावत है – *"Sound body has a sound mind."*

उक्ति निश्चय ही शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि विद्यार्थी स्वस्थ नहीं रहेगा तो निश्चय ही शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और शिक्षण की गुणात्मकता पर प्रभाव पडेगा। उदयपुर जिला चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के निवासी अंधविश्वास, जादू–टोना, झाड–फूँक आदि में विश्वास रखते हैं तथा स्वास्थ्य के प्रति उनकी जानकारी कम होती है। गरीब होने के कारण उन्हें संतुलित आहार नहीं मिल पाता हैं, जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार होकर बीमार रहते हैं। इस वजह से भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाये, जिसमें विद्यालय/केन्द्रों में पढ़ने वाले समस्त बालकों का एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाये जिसमें बालक के स्वास्थ्य के बारें में समस्त सामान्य जानकारियाँ हो और प्रतिमाह उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जावे व

सामान्य दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें तथा स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिया जावे। इस स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, राजकीय चिकित्सालय, हौम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत डॉक्टर, कंपाउण्डर, ए.एन.एम. आदि को बॉटकर जिम्मेदारी सौंपी जाये तथा समय–समय पर स्वास्थ्य सेमीनारों का आयोजन किया जावे, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और वे स्वस्थ्य रह सके। इससे भी शैक्षिक वातावरण उत्पन्न होगा तथा निश्चय ही विद्यार्थियों के ठहराव एवं गुणात्मकता में वृद्धि होगी। इस समस्त कार्यक्रम को संचालित करने हेतु लोक जुम्बिश परियोजना का अधिकृत किया जावें। साथ ही शिक्षा के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी आवश्यक रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

कोटड़ा उदयपुर जिले का जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड है, जो जिले के पश्चिमी छोर पर जिला मुख्यालय से 125 किमी. दूरी पर स्थित है। सिरोही जिला इसके पश्चिम में स्थित है तथा दक्षिण गुजरात राज्य के साबरकाटा जिले की सीमाओं से लगा हुआ है। विकास खण्ड दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र फेला हुआ है। यहाँ अरावली की पहाड़िया एवं घने जंगल फेले हुए है। क्षेत्र में मुख्यतः बावरिया, भील, खैर, गरासिया, गमार, गमेती, कथौड़ी जनजाति बहुतायत निवास करती है। जिनका आर्थिक स्तर ठीक नहीं है। क्षेत्र वाकल सहित, साबरमती नदियाँ मुख्यतः बहती है। अधिकतर गांव जंगलों एवं पहाड़ियों के बीच बसे होने के कारण तथा गांवों तक कोई साधन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के दूर–दराज के अधिकतर लोग 10–12 किमी. पैदल चलकर यातायात से जुड़ते है। यह क्षेत्र शिक्षा, औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। पूर्व में विकास खण्ड में मुलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे "राजस्थान के काले पानी" के नाम से जाना जाता था। शनैः शनैः अब यह विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। क्षेत्र में अभी भी चिकित्सा, यातायात, दूर–संचार, विद्युत आदि की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के विकास में शिक्षा की कमी बहुत बड़ा गतिरोध है। विद्यालयों में बच्चों के ठहराव की कमी है। बहुत से स्थानों पर विद्यालय भवनों की कमी हैं। अधिकांश जगहों में भवनों की जर्जर स्थिति है। साथ ही अध्यापकों का विद्यालयों में नियमित न जाना एवं पदों की रिक्तता लम्बे समय तक बने रहने से शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहा है। जिले में चल रहे "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम के कारण यहाँ शिक्षा की ज्योति गांव–गांव ढाणी–ढाणी पहुंच रही है।

सर्व शिक्षा अभियान में समस्त गतिविधियों के संचालन में सामुदायिकता भागीदारी आवश्यक है। अतः राजस्थान में सबसे न्यूनतम् साक्षरता दर कोटड़ा तहसील में है, जिसमें महिला 11.14 पुरूष 37.55 योग 24.52 है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में संचालित समस्त गतिविधियों का समावेश इस तहसील के उत्थान हेतु आवश्यक होगा।

अध्याय – 8

अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रबोधन

शिक्षा जगत में "गुणात्मक शिक्षा" के लिए निरन्तर नवाचारों व विधाओं का अनुसंधान किया जा रहा है। इन अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त विषयवस्तु के मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए "सर्व शिक्षा अभियान" में "क्वालिटी एज्युकेशन" पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विकास, अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग विशेष रूप से आवश्यक है। इस प्रयास में कम्यूनिटी का कार्य महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की प्रगति एवं विद्यालयी प्रक्रिया से संबंधित दूसरी विशेषताओं में सामाजिक नेतृत्व एवं समूहों की भी मॉनिटरिंग में विशेष आवश्यकता है। वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना प्रेरक दल, महिला समूह, भवन निर्माण समिति तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उक्त गतिविधियों को जन सहभागी बना रही है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में भी वी.ई.सी. पी.टी.ए., एस.ई.सी., एम.टी.ए. एव एस.एम.सी. आदि को मासिक मीटिंग/पाक्षिक मीटिंग का आयोजन कर सर्वशिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सीख उपलब्धि (लर्निंग एचीवमेन्ट) एवं प्रगति की जानकारी हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर तीन वर्ष में "सामयिक पर्यवेक्षण" का प्रबन्ध किया गया है।

लोक जुम्बिश परियोजना ने प्रारम्भ में अनुसंधान मूल्यांकन एवं मोनिटरिंग हेतु संधान का सहयोग लिया था। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर "रिसर्च ग्रुप्स" का गठन किया जावेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, जिला ब्लॉक एवं संकुलो पर गठित संदर्भ समूह डाईट, बी.ई.ओ, बी.एस.जी. एवं संकुल स्तर की पी.एम.आइ.एस. की सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा।

यह ग्रुप गुणवत्ता से संबंधित इन्टरवेन्सस की नीति, आयोजना, क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा। इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम विकास, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से संबंधित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना है।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जिनके माध्यम से ही गुणवत्ता शिक्षा में सुधार एवं क्रमान्तर्गत अधिगम की वास्तविक स्थिति मापी जा सकती है।

प्रबोधन (प्रबन्धन) सूचना तंत्र (M.I.S.)

भूमिका

किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रबन्धन हेतु एक मजबूत और उत्तरदायी प्रबोधन तन्त्र का होना आवश्यक है। वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना में इसे अलग-अलग कार्यक्रमानुसार- परिचालन गतिविधि, सहज शिक्षा, भवन निर्माण, गुणात्मक शिक्षा आदि से संकलित कर परिषद स्तर तक भेजा जाता है। अतः आगे सर्व शिक्षा अभियान में इसका आंशिक संशोधन रहेगा। प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन (M.I.S.) हेतु 3 मुख्य कार्यक्रमों को संपादित किया जायेगा –

1. शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तन्त्र (EMI)
2. योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र (PMIS)
3. वित्त प्रदन्धन सूचना तन्त्र (FMI)

प्रबोधन के उद्देश्य

1. प्राथमिक विद्यालय एव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियाँ जिला स्तर पर हर वर्ष ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेषण करना।

2. नामाकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना।

3. विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की परिलब्धियाँ एवं उपलब्धियाँ ज्ञात करना, जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनों पर विशेष ध्यान रखना।

4. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करना।

1. शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तन्त्र (EMIS)

जिला स्तर पर ई.एम.आई.एस. के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना NIEPA (नीपा) द्वारा निर्धारित DISE 2001 के प्रपत्र एकत्रित की जायेगी। गांव की सूचनाएँ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एस.एम.सी. के अध्यक्ष, संकुल प्रभारी, एवं परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

ई.एम.आई.एस. (E.M.I.S.) के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

- 6–14 आयुवर्ग के बालक/बालिका नामवार नामांकित करना।
- अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना।
- अध्यापकों की जानकारी देना।
- छात्रों की विभिन्न वि यों में विशे । कार्यों एवं योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करना।
- नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा संप्राप्ति की जानकारी लेना।
- विद्यालय छात्र अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात एव शिक्षक अनुपात ज्ञात करना।
- विभिन्न हैड्स में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना।
- सर्वशिक्षा अभियान के सम्बन्ध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आंकड़ों का विश्ले ण करना।
- समय–समय पर समस्त सूचनाओं का अदिनांक करना जिससे कि प्रगति की सही समीक्षा की जा सके।

1. योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र (PMIS)

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्ध सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र (पी.एम.आई.एस.) के द्वारा समस्त सूचनाएँ समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी। योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में पी.एम.आई.एस. के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके क्रियान्वयन में सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु पी.एम.आई.एस. के द्वारा समस्त सूचनाएँ एक साथ प्राप्त की जा सकेंगी।

2. वित्त प्रबन्धन सूचना तन्त्र (FMI)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण एवं जटिल मुद्दा है। इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तन्त्र (F.M.I.S.) के द्वारा खण्ड स्तर पर वित्त संबंधी समस्त खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। खण्ड स्तर पर बी.एस.जी. द्वारा प्राप्त की सकेगी। यह प्रत्येक गतिविधि के हैडवाईज़ व इकाई लागतानुसार प्राप्त हो सकेगा।

वित्त प्रबन्धन हेतु विभिन्न रिपोर्ट्स जैसे – केश बुक, लेजर, कोषप्रवाह,चैक इश्यू, ट्राइल बैलेन्स इत्यादि समस्त जानकारियाँ एक साथ एक ही जगह प्राप्त की जा सकती हैं। अतः वित्त प्रबन्धन सूचना तन्त्र (F.M.I.S.) वित्त प्रबन्धन हेतु एक प्रभावी एवं सुदृढ़ सूचना तन्त्र है।

प्रबोधन कार्मिक

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर लोक जुम्बिश में कार्यरत एम.आई.एस. प्रभारी एवं एक डाटाएन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ एम.आई.एस. प्रभारी एवं कुल चार डाटाएन्ट्री ऑपरेटर संचालन हेतु आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक–एक कप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे।

प्रबोधन संसाधन

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु लोक जुम्बिश में जिला स्तर पर उपलब्ध एक कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त तीन कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक–एक कम्प्यूटर की आवश्यकता है।

अध्याय – ९

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका –

लोक जुम्बिश परियोजना उदयपुर जिले में 1993 से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु संकुल स्तर से खण्ड स्तर एवं खण्ड स्तर से जिला स्तर तथा जिला स्तर से परिषद् स्तर तक कार्य कर रही है। अतः इसी कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वजनीनकरण की दशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में वर्णित 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आज की परिस्थितियों में भी दूर–दराज के कठिन क्षेत्रें में कार्य को गति प्रदान करने एवं शिक्षा के लक्ष्य की शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ प्रबन्धन एवं प्रबोधनअत्यावश्यक है। इसके अभाव में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य असंभव एवं दुरूह होने के साथ–साथ स्वप्निल बनकर रह जायेगा। एसी स्थिति से दृढ़ता एवं मजबूती से निपटने के लिए जिला स्तर पर प्रबन्धन एवं प्रबोधन की महत्ती आवश्यकता है।

उदयपुर जिले में चूंकि पूर्व से लोक जुम्बिश परियोजना 1993 से कार्य कर रही है। अतः इसका जिले में प्रबन्धन निम्नानुसार है।

जिला स्तर पर	–	जिला परियोजना समन्वयक
	–	सहायक जिला परियोजना समन्वयक (एक)
	–	वरिष्ठ लिपिक(एक)
	–	लेखाकार (एक)
	–	कम्प्यूटर आपरेटर मय कम्प्यूटर (एक)
	–	सहायक कर्मचारी
विकास खण्ड स्तर पर	–	परियोजना अधिकारी
	–	स.प.अ (परिचालन) –1
	–	स.प.अ (गुणात्मक शिक्षा) –1
	–	स.प.अ (सहज शिक्षा) –1

– स.प.अ (भवन)–1

– सयुक्ता –1

– लेखाकार–1

– क.लिपिक–1

– सहायक कर्मचारी–1

संकुल स्तर पर – सकुल प्रभारी

– संकुल सहयोगिनी/सहयोगी –1

– विस्तार केन्द्र प्रभारी–1

– प्रशिक्षिका–1

– प्रवतेक (सहज शिक्षा केन्द्रों के अनुसार प्रति दस पर एक)

सर्व शिक्षा अभियान में इसके समान ही प्रबन्धन निम्नानुसार रहेगा।

जिला स्तर पर प्रबन्धन

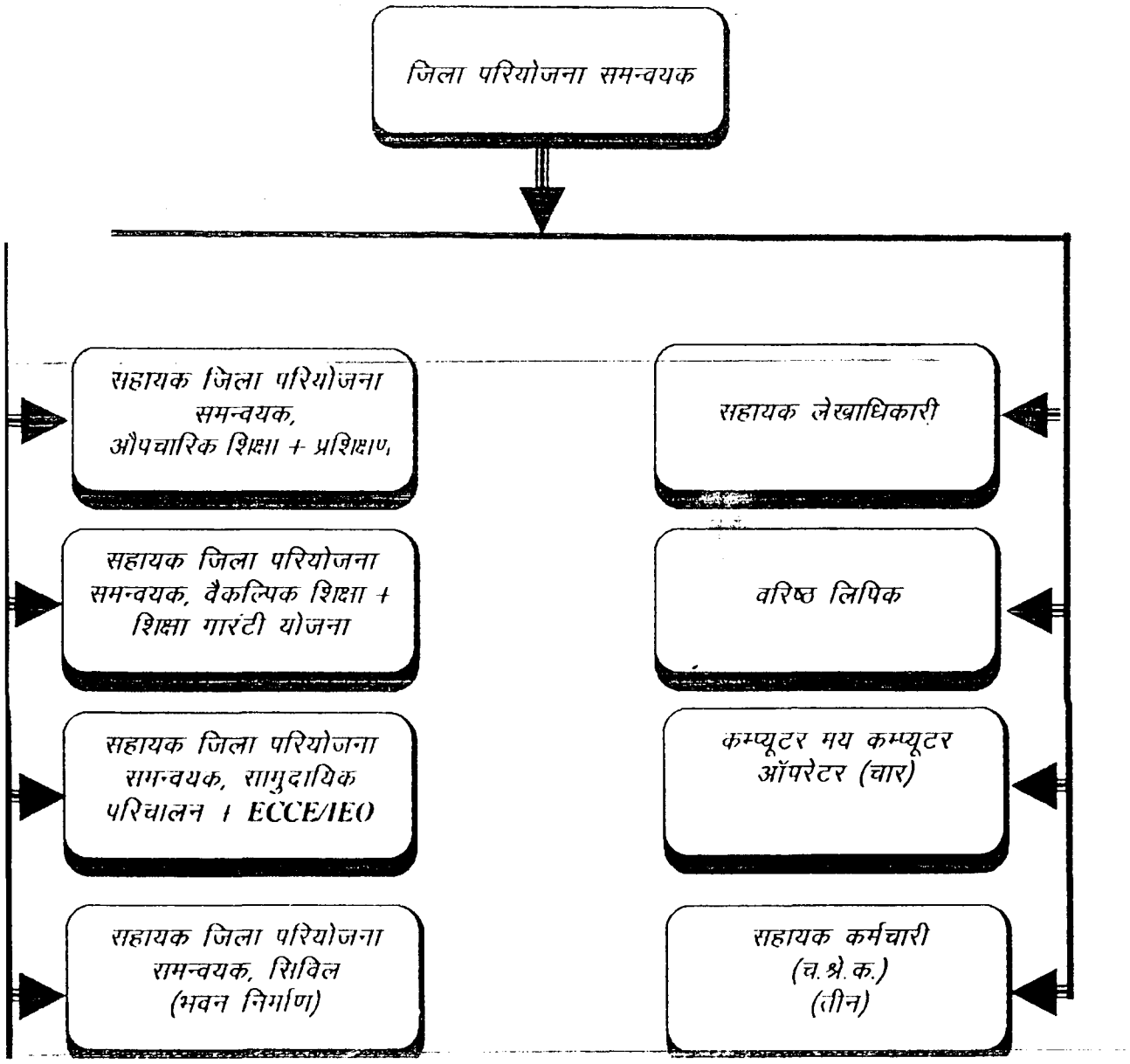

कार्य एवं समन्वयन / दायित्व

9.2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) से समन्वय

जिले में शिक्षा की व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रबन्धन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) के निहित है। इनके अधीन जिला मुख्यालय पर अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य स्टाफ कार्यरत हैं।

जिला परियोजना कार्यालय में जिला परियोजना समन्वयक व अन्य स्टाफ कार्यरत हैं। ब्लॉक स्तर पर परियोजना अधिकारी व स्टाफ तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक कार्यालय में अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.) का कार्यालय स्थित है। संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी तथा स्टाफ का पद सृजित है।

शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग का दायित्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) में निहित है। वहीं उसे मजबूत प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण एवं आनन्ददायी शिक्षा जिला परियोजना समन्वयक का गुरूत्तर दायित्व है।

विभिन्न स्तरों पर समन्वयन

शिक्षा विभाग

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)
एवं स्टाफ

↓

अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)
एवं
स्टाफ

↓

विद्यालय

सर्व शिक्षा अभियान

जिला परियोजना समन्वयक
एवं
स्टाफ

↓

परियोजना अधिकारी
एवं
स्टाफ

↓

संकुल प्रभारी
एवं
स्टाफ

उक्त वर्णित तालिका प्रदर्शित करती है कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के समन्वय सहयोग से ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल किया जा सकता है। दोनो कार्यालो मे आपसी तालमेल का होना नितान्त आवश्यक एव समय की माग है। जिस प्रकार एक गाड़ी के सुचारू सचालन एवं नियंत्रण दोनों पहियों पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति उक्त कार्यालयो मे शिक्षा के लक्ष्यो को अर्जित करने की दशा मे होनी चाहिए।

- उक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि सर्व शिक्षा अभियान मे दोनो का एक ही लक्ष्य : अंतिम सीढ़ी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रें का नामांकन, ठहराव, क्षमताओं का विकास एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्ददायी शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अभी भी शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गो को जोडना है।

- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों सहित नवाचारों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

- उपरोक्त शिक्षा विभाग के ढांचे के साथ जिस प्रकार समन्वय स्थापित किया जायेगा। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के निकाय एव गैर सरकारी संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा।

अतः विभिन्न कार्यक्रमो को गति देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षा के सार्वजनीकरण, आँकड़ों के सही एवं वैद्य एकत्रीकरण हेतु दोनों का समन्वय आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान दोनो के बेहतर तालमेल का पक्षधर है। जिससे लक्ष्य हासिल किया जाकर समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त की सके।

8.3 जिला शासी परिषद् (डी.जी.सी.)

वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना में जिला कार्यकारी समिति विभिन्न प्रकार के शैक्षिक निर्णय व क्रियान्वयन करती आ रही है। अतः आगे सर्व शिक्षा मे भी इसके समकक्ष जिला शासी परिषद् रहेगी जो जिले में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद् जिला परियोजना कार्यालय से संबंधित नामांकन, ठहराव एव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित विभिन्न मामलों की प्रोग्रेस एवं नीतिगत मामलो की देखभाल करेगी। इसकी बैठक वर्ष मे दो बार आयोजित की जायेगी। इस समिति में जनप्रतिनिधि विभिन्न विभागों के सदस्य, शिक्षाविद्, गैर सरकारी संगठनों के

प्रतिनिधि सहित शिक्षक संघ प्रतिनिधि होगे। जिला परियोजना समन्वयक शासी परिषद् का सदस्य सचिव होगा। शासी परिषद् का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

जिला शासी परिषद् की कार्यकारिणी

• जिला प्रमुख	अध्यक्ष
• सासद	सदस्य
• विधायक (समस्त विधानसभा क्षेत्र)	सदस्य
• जिला कलेक्टर	उपाध्यक्ष
• प्रधान–समस्त	सदस्य
• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)	सदस्य
• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)	सदस्य
• मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
• प्राचार्य (डाइट)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
• अधिशासी अभियंता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
• अधिशासी अभियता (पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
• समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
• जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
• परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
• विकास अधिकारी समस्त	सदस्य
• अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• परियोजना अधिकारी	सदस्य
• संकुल प्रभारी	सदस्य
• शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
• गैर सरकारी सगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
• शिक्षक सघ प्रतिनिधि	सदस्य
• यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य

• सहायक परियोजना समन्वयक (औ.शि.)	सदस्य
• जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

8.4 जिला निष्पादन समिति

जिला निष्पादन में विभिन्न विभागों के सदस्य होंगे तथा समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर का होगा। इसकी बैठक त्रैमासिक होगी तथा यह समिति जिला योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी। यह समिति जिला परियोजना कार्यालय को नये स्कूल भवनों, संकुल विस्तार केन्द्रों और ब्लॉक संचालन दल (भवन) के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध करायेगी।

जिला निष्पादन समिति के सदस्य

• जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.)	सदस्य
• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
• प्राचार्य (डाइट)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
• अधिशासी अभियन्ता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
• अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्ल्यू.डी)	सदस्य
• समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
• जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
• परियोजना निदेशक (आइ.सी.डी.एस.)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• शिक्षाविद् (दो नामित)	सदस्य
• सहायता प्राप्त विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
• अध्यापक संगठन प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
• अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

8.5 जिला संदर्भ समूह (D.R.G.)

वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना जिले स्तर पर दक्ष प्रशिक्षक एवं प्रबोधकों द्वारा ही प्रशिक्षण एवं शैक्षिक विश्लेषण का कार्य कराया जाता है। अतः आगे भी सर्व शिक्षा अभियान में इसके समकक्ष ही जिला संदर्भ समूह सर्व शिक्षा अभियान को रचनात्मक सुझाव एवं सहायता उपलब्ध करायेगा तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा –

* जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रकाशित साहित्य यथा – ब्रूसर्स, फोल्डर्स तथा पोस्टर्स का आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करना एवं सुझाव देना।
* विभिन्न कम्पोजेन्ट के अनुसार नवाचार कार्यक्रम (इन्नोवेटिव प्रोग्राम्स) सुझाना।
* गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों तथा सर्व शिक्षा अभियान के मध्य बेहतर तालमेल का परीक्षण करना।
* अनुवर्तन कार्यक्रम (फोलोअप प्रोग्राम) अमल में लाना।

जिला सन्दर्भ समूह के सदस्य

♦ प्रधानाचार्य डाइट	संयोजक
♦ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
♦ जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी	सदस्य
♦ जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य
♦ गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
♦ समाचार संवाददाता (दो)	सदस्य
♦ शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
♦ महिला प्रतिनिधि (शिक्षा विभाग)	सदस्य
♦ पेडागॉजी / ट्रेनिंग / ए.एस. / जेण्डर एण्ड ई.सी.ई. (दो प्रतिनिधि)	सदस्य
♦ संबंधित कार्यक्रम प्रभारी	सदस्य सचिव

8.6 खण्ड संचालन दलः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उदयपुर जिले में 11 ब्लॉकों पर खण्ड संचालन दल कार्यालय होगे। जो कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण, शैक्षिक योजना एवं सहयोग, निरीक्षण तथा

प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा। सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक ब्लॉक पर एक पद परियोजना अधिकारी, चार पद सहायक परियोजना अधिकारी (इनमें एक महिला होगी), एक कनिष्ठ लिपिक, एक कम्प्यूटर मय कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा एक सहायक कर्मचारी होगा।

खण्ड् स्तर प्रबन्धन (B.S.G.)

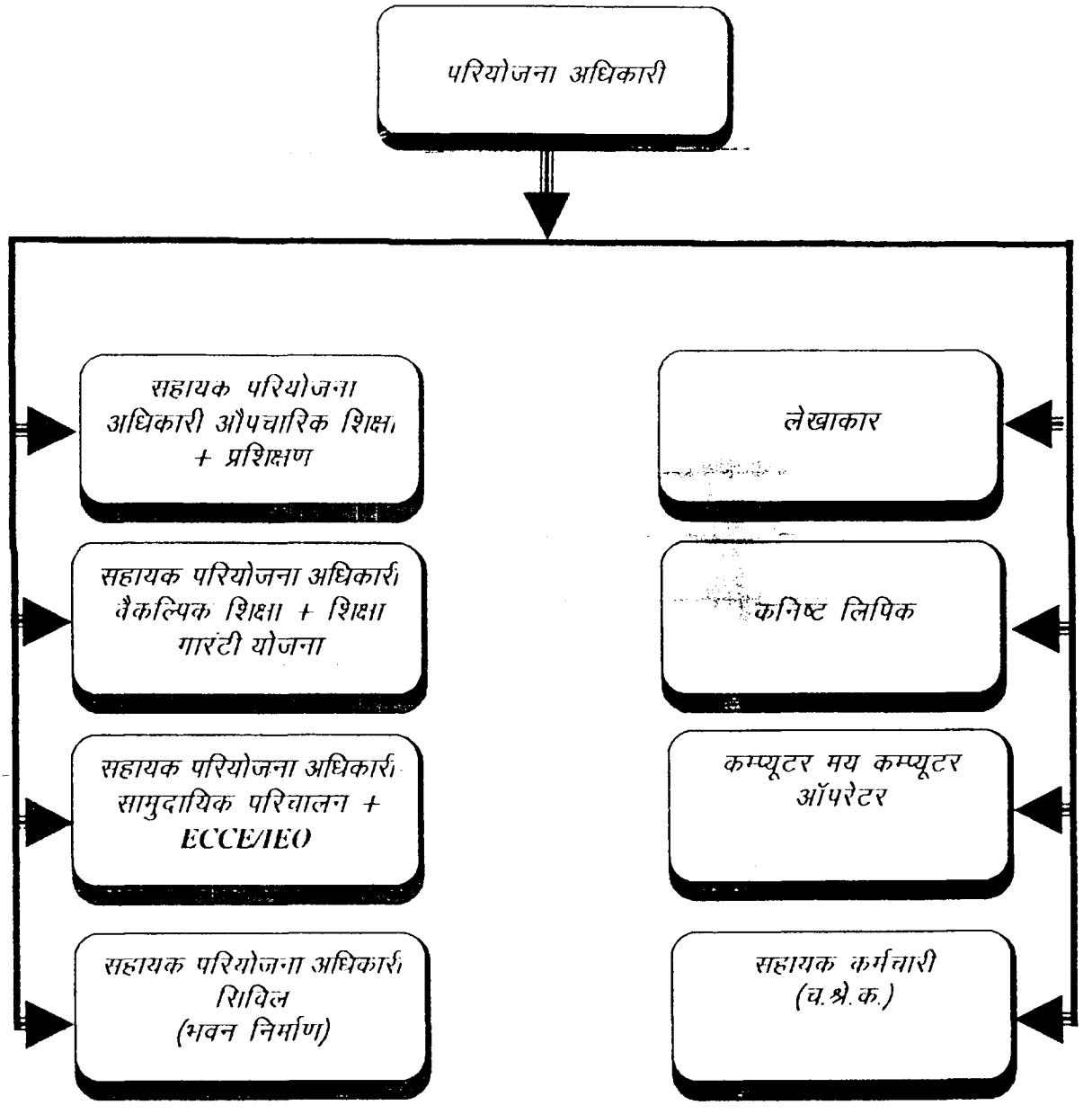

नोट :– सहायक परियोजना अधिकारी पदों में एक पद महिला का होना आवश्यक है।

खण्ड संच प्रालिन दल के कार्य

- ★ विभिन्न शक्षणों का आयोजन करना।
- ★ संकुल प्रभारी का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ★ टी.एल.एम. का निर्माण करवाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ★ ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति के साथ बैठकें आयोजित करना।
- ★ वैकल्पिक विद्यालयों के शिक्षा सहयोगियों/पैराटीचर्स तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ★ मूल्यांकन एवं प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखना।
- ★ विकलांग बच्चों की पहचान एवं शिक्षण व्यवस्था करना।
- ★ मासिक मीटिंग और प्रशिक्षणों के माध्यम से संकुल प्रभारी को सपोर्ट और सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ★ शैक्षिक प्रबंध सूचना तन्त्र को मजबूती प्रदान करना।

8.7 ब्लॉक शिक्षा समिति

ब्लॉक शिक्षा समिति ब्लॉक संदर्भ केन्द्र एवं ब्लॉक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेगी एवं ब्लॉक के दूरदराज स्थानों पर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में योगदान प्रदान करेगी। इस समिति के सदस्यगण निम्नानुसार होंगे।

ब्लॉक शिक्षा समिति – (बी.ई.सी.)

★ प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
★ सरपंच (पुरुष)	सदस्य
★ सरपंच (दो महिला)	सदस्य
★ जिला परिषद् सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
★ पंचायत समिति सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
★ शिक्षाविद्	सदस्य
★ अल्पसंख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
★ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
★ बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
★ चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
★ प्रचेता	सदस्य

* शिक्षा प्रसार अधिकारी — सदस्य
* अतिरिक्त विकास अधिकारी — सदस्य
* परियोजना अधिकारी — सचिव

8.8 संकुल/विस्तार केन्द्र

लोक जुम्बिश के अन्तर्गत उदयपुर जिले में 75 संकुल/विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन संकुलों पर शैक्षिक मजबूती प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान में संकुल प्रभारी का एक पद रखा गया है तथा सामाजिक परिचालन, बाल्यावस्था देखभाल तथा महिला विकास व जेण्डर समता हेतु एक महिला संकुल सहयोगिनी रखा है। इन केन्द्रों पर अध्यापकों की मासिक मीटिंग, विद्यालय प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण, भवन निर्माण समिति सदस्यों का प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला समूह, किशोरी मंच स्कूली बालिका कार्यशाला और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने है।

संकुल स्तर प्रबन्धन –

संकुल प्रभारी – अकादमिक, प्रशिक्षण एवं सम्बलन

संकुल सहयोगिनी – परिचालन, ECCE, EED महिला विकास आदि

संकुल के कार्य

* विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहायता से नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता की स्थिति में सुधार लाना।
* मासिक बैठक में औपचारिक स्कूलों को सपोर्ट और सुविधा पर विचार एवं मनन करना।
* विभिन्न ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी।
* पंचायतीराज संस्थाओं, भवन निर्माण समिति एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को मजबूती प्रदान करना।
* विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों के लिए सूक्ष्म नियोजन एवं मानचित्रण का प्रशिक्षण आयोजित करना।
* महिला समूह एवं किशोरी मंच प्रशिक्षण आयोजित करना।

8.9 संकुल संदर्भ समूह

वर्तमान में सी.आर.टी द्वारा विद्यालयों को संबलन प्रदान किया जाता है अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी शैक्षणिक व्यवस्था के उन्नयन एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्ददायी प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र पर सकुल संदर्भ समूह का गठन किया गया है। जिसमें संकुल परिधि के विद्यालयों में विभिन्न विषयों यथा– विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण आदि के विशेषज्ञ चयनित किये गये है। यह समूह मासिक बैठकों में औपचारिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रेरण का कार्य करेगा। संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी संकुल संदर्भ समूह के सुझावों पर अमल कर क्रियान्विति करेगा।

8.10 विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबन्ध समिति गांव के विद्यालयों में निर्माण कार्यों की देखभाल एवं विद्यालय के निरीक्षण मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। प्रत्येक एस.एम.सी. को विद्यालय के कोष सुधार हेतु 2000/–रूपये प्रति वर्ष देय होंगे। इस समिति को त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। यह समिति जिले से बाहर तीन दिवस का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य

- ✶ विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों में से भवन निर्माण समिति का गठन करना।
- ✶ अधिकतम् नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- ✶ वैकल्पिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की देखरेख करना।
- ✶ बाल मेला, कला जत्था महिला मिटिंगों का आयोजन करनां
- ✶ विद्यालय का प्रभावी निरीक्षण एवं समय पालन सुनिश्चित करना।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य

❖ सरपंच/वार्ड पंच	अध्यक्ष
❖ अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अल्पसंख्यक/ओ.बी.सी. प्रतिनिधि	सदस्य
❖ महिला एक्टीविस्ट	सदस्य
❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
❖ सेवा निवृत शिक्षक/कार्मिक	सदस्य

❖ यूथ क्लब प्रतिनिधि — सदस्य

❖ अभिभावक पुरूष — सदस्य

❖ अभिभावक महिला — सदस्य

❖ प्रधानाध्यापक (संबंधित विद्यालय) — सदस्य सचिव

8.11 भवन निर्माण समिति (बी.एन.एस.)

लोक जुम्बिश परियोजना में वर्तमान में 5–8 सदस्य होते है तथा उन्ही में से अध्यक्ष तथा विद्यालय के अध्यापक को सचिव के रूप में रखकर कार्य पूर्ण किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों में से पांच सदस्य भवन निर्माण समिति में सम्मिलित किये गये हैं जो निर्माण संबंधी कार्यों की देखभाल करेंगे। इस समिति को संकुल स्तर पर तीन दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा इसके संभागियों की संख्या पांच होगी।

भवन निर्माण समिति के सदस्य

❖ ग्राम के गणमान्य नागरिक प्रतिनिधि — अध्यक्ष

❖ सक्रिय महिला — सदस्य

❖ सक्रिय पुरूष — सदस्य

❖ सक्रिय समाज सेवी — सदस्य

❖ प्रधानाध्यापक / संस्थाप्रधान / अध्यापक — सचिव

8.12 कोष प्रवाह

वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा जो कोष प्रवाह हो रहा है वही आगे सर्व शिक्षा अभियान में रखा जाएगा।

किसी भी कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन में कोष की भूमिका अहम् हैं बिना कोष योजना की सफलता संदिग्ध ही नहीं अपितु असंभव एवं स्वप्निल भी है।

जिला स्तर पर कोष प्रवाह निम्नानुसार होगा –

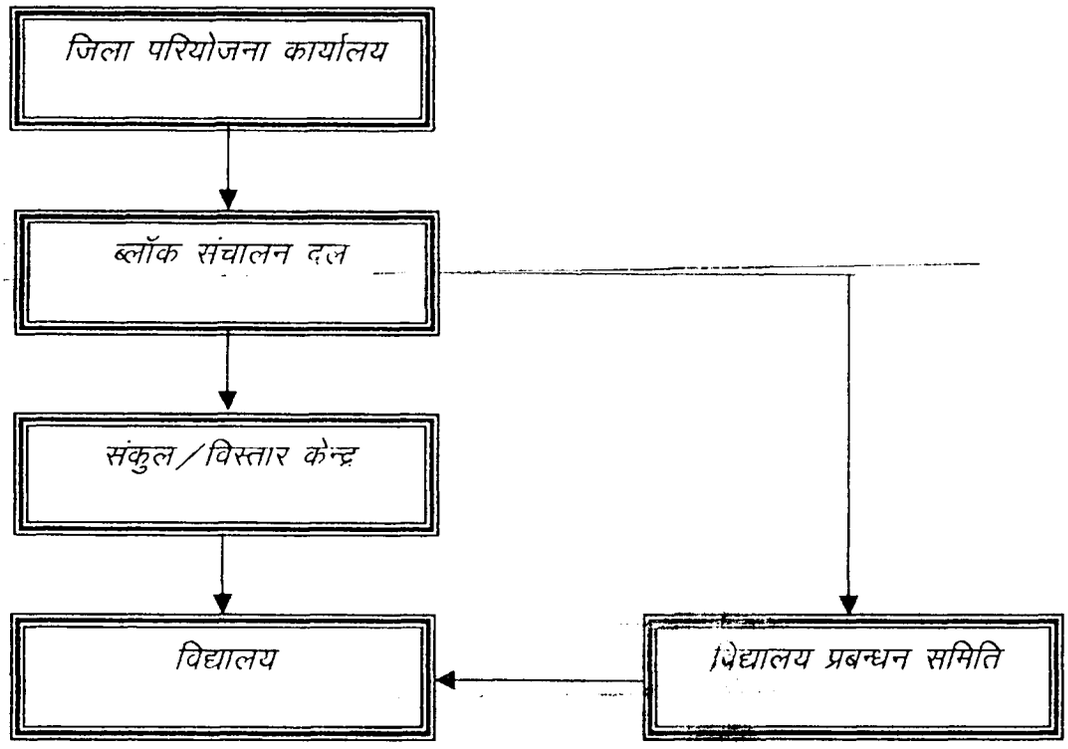

उक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि जिला स्तर से कोष जहाँ एक तरफ ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर तथा विद्यालय स्तर पर पहुँचे, विद्यालय प्रबन्ध समिति उक्त राशि का सदुपयोग विद्यालय में अपने स्तर पर करने में सक्षम होगी। कोष व्यय पर परियोजना अधिकारी का नियंत्रण रहेगा। आहरण एवं वितरण परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय – 10

निर्माण कार्य

6.1 भूमिका

विद्यालय स्तर पर रूचिकर एवं आनन्ददायी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्र में आधारभूत भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना सर्व शिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता है। विद्यालय का भौतिक वातावरण एवं परिवेश इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो कि लंर्नर स्वतः हीं विद्यालय की ओर आकर्षित हो, तभी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सार्वजनीनकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं यथाा – विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षाकक्ष, शौचालय/मूत्रलय/पेयजल सुविधा/चारदीवारी एवं फिसलन पट्टी निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की गई हैं।

6.2 नये विद्यालय भवन

6–14 आयुवर्ग से ज्यादा छात्रें को विद्यालय भवन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालय विहिन 3045 स्कूल बनवाना प्रस्तावित हैं। नये विद्यालय भवन में दो कक्षा कक्षों के अतिरिक्त बरामदा बनवाने का भी प्रावधान है।

शाला में दो कमरों का निर्माण

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	–	10	10	6	26
योग	–	–	10	10	6	26

तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	40	100	83	216	439
योग	–	40	100	83	216	439

उपरोक्त भवन उन्हीं विद्यालयों में बनेंगे जो भवन विहीन हैं या शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जायेंगे।

6.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उ.प्रा.वि. के अध्यापक को शिक्षण व्यवस्था हेतु एक कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु लोक जुम्बिश परियोजना, उदयपुर द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार 4237 अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आवश्यकता है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये निर्धारित है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण का दायित्व भवन निर्माण समिति का होगा।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	100	400	400	–	1143
योग	–	100	400	400	–	1143

6.4 शौचालय निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। शौचालय छात्रें को विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक है। शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय 10,000 रूपये निर्धारित हैं। शौचालय निर्माण का दायित्व भी भवन निर्माण समिति का होगा।

शौचालय

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	100	500	500	500	1600
योग	–	100	500	500	500	1600

6.5 पीने के पानी की सुविधा

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6–14 आयुवर्ग के ज्यादा से ज्यादा छात्रें को सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान है। इस हेतु शहरी क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. कनेक्शन द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प सुविधा उपलब्ध्ध करवायी जायेगी। ऐसे स्थान जहॉ पये जल की अत्यधिक कमी हैं वहॉ बरसाती पानी एकत्रीकरण हेतु टांका निर्माण की सुविधा उपलब करवायी जायेगी। पी.एच. ई.डी. द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 20,000 रूपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रें में हैण्डपंप व्यवस्था एंव टांका निर्माण हेतु 50,000 रूपये उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। भवन निर्माण समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी।

पेयजल सुविधा

हैण्डपम्प /टॉका निर्माण द्वारा पेयजल सुविधा

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	50	300	300	300	950
योग	–	50	300	300	300	950

पी.एच.ई.डी. द्वारा पेयजल सुविधा

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	55	55	55	55	220
योग	–	55	55	55	55	220

6.6 रैम्प निर्माण

शिक्षा क्षेत्र में शत प्रतिशत उपलब्धि तभी अर्जित होगी जब 6–14 वर्ष के प्रत्येक बालक/बालिकाऍ शिक्षा से जुड़े होंगे। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बालक/बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधा के रूप में आवश्यकता होने पर रैम्प निर्माण करवाया जायेगा। यह कार्य भवन निर्माण समिति द्वारा करवाया जायेगा।

रैम्प

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	40	40	–	–	80
योग	–	40	40	–	–	80

खण्ड संचालन दल भवन निर्माण

वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना, उदयपुर में 11 विकास खण्डों में किराये के भवनों में खण्ड संचालन दल कार्यालय संचालित कर रही है। चूंकि सर्व शिक्षा कार्यक्रम सतत् एवं अभियान के रूप में 2010 तक चलेगा। अतः इसमें लोक जुम्बिश परियोजना के चरण की समाप्ति के पूर्व क्रमशः दो वर्षों में 11 खण्ड संचालन दल भवन बनाये जायेंगे। जिनकी लागत प्रति विकास खण्ड 6 लाख का प्रावधान रहेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	योग
संख्या	–	06	05	11
योग	–	06	05	11

संकुल/विस्तार केन्द्र भवन निर्माण

वर्तमान में संकुल स्तरीय गतिविधियों एवं महिला विकास कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु किराये के भवन में कार्यालय संचालित हो रहा है, जो उदयपुर जिले में 75 हैं। अतः तृतीय चरण की समाप्ति से पूर्व कमशः 2003–04 में 75 व 2004–05 में 150 संकुल कार्यालय बढ़ाएँ जायेंगे तथा सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम 2 वर्षों में क्रमशः 50 व 45 संकुल कार्यालयों का निर्माण करवाया जायेगा। लागत रूपये 2 लाख का प्रावधान रहेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	योग
संख्या	–	75	75	150
योग	–	75	75	150

मरम्मत कार्य :–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
संख्या	–	1623	1696	1846	2294	7459
योग	–	633	735	810	885	3063

वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा निर्माण कार्य करवाये जा रहे है। जिसमें अतिरिकक्ष, नये भवन निर्माण, शौचालय, रैम्प, पानी की टंकी/टांका निर्माण, मरम्मत कार्य आदि सफलतापूर्वक किये जा रहे है। जिसमें सामुदायिकता को महत्व देते हुए इनका निर्माण भवन निर्माण समितियों द्वारा करवाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में शाला प्रबन्ध समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, भवन निर्माण समितियों द्वारा 5000/–रूपये तक या शाला प्रबन्ध समितियों के प्रस्तावानुरूप निम्नानुसार मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य करवाया जा रहा है।

अध्याय – 11

योजना लागत

"सर्वशिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा में शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना हैं। नामांकन के आधार पर अतिरिक्त पैराटीचर्स की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। विद्यालय के रख–रखाव हेतु शाला विकास फण्ड के रूप में प्रतिवर्ष राशि आवंटित की जायेगी। 3 से 6 वर्ष के बालकों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भी खुलवाना प्रस्तावित है।

कम्प्युटर शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसे लागू किया जाना प्रस्तावित है। जेण्डर संवेदनशीलता हेतु प्रतिवर्ष जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कामकाजी बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

अध्याय – 12

परियोजना की क्रियान्विति

भूमिका –

"सर्वशिक्षा अभियान" एक सघन कार्यक्रम ही नही, शिक्षा के सार्वजनीनकरण सबकी शिक्षा तक आसान पहुंच एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में एक दीर्घकालीन तथा बहुआयामी परियोजना है। ऐसी अन्य परियोजना की तरह ही इस अभियान के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन ही इस कार्यक्रम की सफलता होगी। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्वयन हेतु वर्षवार निश्चित कार्यक्रम तय किया जा रहा है।

वर्षवार संपादित की जाने वाली गतिविधियाँ

वर्ष 2002—03 से 2009—10 तक पहुंच, ठहराव, गुणवत्ता तथा विभिन्न संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जाना हैं। जिला शासकीय समिति, जिला कार्यकारी समिति, ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबन्धन समितियों के सक्रिय सहयोग तथा जिला ब्लॉक संकुल विद्यालय स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पणयुक्त प्रयासों से परियोजना का कार्य चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार समय पर संपादित किया जायेगा।

अध्याय–13

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

2003–04

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

:CT:UDAIPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	51646	436.409	57646	487.1087	43646	368.8087	29646	250.509	182584	1542.835
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			102		75		75		174		426	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	102	51.000	75	37.500	75	37.500	174	87.000	426	213.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	102	91.800	75	67.500	75	67.500	174	156.600	426	383.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	48	57.600	150	180.000	225	270.000	300	360.000	723	867.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	102	64.260	75	47.250	75	47.250	174	109.620	426	268.380
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	96	80.640	348	292.320	600	504.000	825	693.000	1869	1569.960
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120.000	400	480.000	400	480.000	243	291.600	1143	1371.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	30	15.000	200	100.000	200	100.000	200	100.000	630	315.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	20000	20.000	20500	20.500	21000	21.000	21500	21.500	83000	83.000
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56		0.000	10	25.600	10	25.600	6	15.360	26	66.560
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	40	144.000	100	360.000	83	298.800	216	777.600	439	1580.400
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	500	50.000	500	50.000	500	50.000	1600	160.000
	6.4	Handpump/ Water Harvestmg	Number	0.5	50	25.000	300	150.000	300	150.000	300	150.000	950	475.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	55	11.000	55	11.000	55	11.000	55	11.000	220	44.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000	40	8.000		0.000		0.000	80	16.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	6	36.000	5	30.000		0.000		0.000	11	66.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	75	150.000	75	150.000		0.000		0.000	150	300.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250	100	12.500	150	18.750	200	25.000	500	62.500
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000	40	10.000	60	15.000	80	20.000	200	50.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	400	100.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	1623	81.150	1771	88.550	1921	96.050	2485	124.250	7800	390.000
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	633	31.650	735	36.750	835	41.750	919	45.950	3122	156.100
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**												
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	175	17.500	225	22.500	523	52.300	175	17.500	1098	109.800
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	175	110.250	225	141.750	523	329.490	175	110.250	1098	691.740
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	175	147.000	400	336.000	923	775.320	1498	1258.320
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	175	0.135	225	30.375	523	70.605	175	23.625	1098	124.740
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	175	35.700	225	45.900	523	106.692	923	188.292
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	175	39.900	225	51.300	400	91.200
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	175	44.100	175	44.100
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	1623	32.460	1771	35.420	1921	38.420	2485	49.700	7800	156.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	633	12.660	735	14.700	835	16.700	919	18.380	3122	62.440
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	5056	25.280	5506	27.530	6552	32.760	6902	34.510	24016	120.080
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	4648	23.240	4948	24.740	5275	26.375	5773	28.865	20644	103.220
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	4881		5106		5629		5804		21420	0.000

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

:CT:UDAIPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	4648		4948	69.272	5275	73 850	5773	80 822	20644	223.944
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	883			0.000		0.000	883	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	175	3 675	400	8.400	923	19 383	1098	23.058	2595	54 516
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	5064	3 038	5880	3.528	6680	4 008	7352	4.411	24975	14.986
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	2029		2029	24.348	2029	24.348	2029	24 348	8116	73 044
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	1623	22.722	1771	24.794	1921	26 894	2485	34.790	7800	109 200
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	633		735	10.290	835	11 690	919	12.866	3122	34 846
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.800	1	2.400	1	2.400	3	6 600
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4 080	4	6.120	4	8 160	4	8.160	14	26 520
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4 320	3	3.240	3	4 320	3	4.320	12	16 200
	17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)	Number	1.8		0.000	1	1.350	1	1 800	1	1 800	3	4 950
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	1.260	1	1.680	1	1.680	3	4 620
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	1	1 200	1	0.900	1	1 200	1	1 200	4	4 500
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		0.000	1	0.630	1	0.840	1	0.840	3	2.310
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600	1	0.450	1	0.600	1	0.600	4	2 250
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440	4	1.440	4	1.920	4	1.920	15	6 720
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612	3	0.689	3	0.918	3	0.918	11	3 137
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.230	1	0.306	1	0.306	3	0.842
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1 500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4 200	15	12.600
	17.1.15	*Furniture*	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8 000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6 000

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

:CT:UDAIPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	11	16.170	11	21.560	11	21.560	33	59.290
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	33	35.640	33	47.520	33	47.520	99	130.680
	17.3.3	Salary of Junior Engg.	Number	1.44		0.000	11	11.880	11	15.840	11	15.840	33	43.560
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		0.000	11	8.910	11	11.880	11	11.880	33	32.670
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	11	4.950	11	6.600	11	6.600	33	18.150
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	11	3.960	11	5.280	11	5.280	33	14.520
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	11	2.525	11	3.366	11	3.366	33	9.257
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	11	9.350		0.000		0.000		0.000	11	9.350
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	11	1.320	11	1.320	11	1.320	11	1.320	44	5.280
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	11	1.100	11	1.100	11	1.100	11	1.100	44	4.400
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	11	9.240	11	9.240	11	9.240	11	9.240	44	36.960
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	150	135.000	150	180.000	150	180.000	450	495.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	11	1.375	11	1.375	11	1.375	11	1.375	44	5.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	11	0.660	11	0.660	11	0.660	11	0.660	44	2.640
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	11	0.550	11	0.550	11	0.550	11	0.550	44	2.200
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	75	7.500	75	7.500		0.000		0.000	150	15.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	75	1.875	150	3.750	150	3.750	150	3.750	525	13.125
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	75	1.800	150	3.600	150	3.600	150	3.600	525	12.600
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	75	0.750	150	1.500	150	1.500	150	1.500	525	5.250
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	4500		3500	29.575	2500	21.125	1500	12.675	12000	63.375
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	653		735	7.350		0.000		0.000	1388	7.350
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	498	9.960	498	9.960	498	9.960	498	9.960	1992	39.840
		Grand Total				**1889.791**		**3716.488**		**4258.942**		**5228.386**		**15093.607**
		Total of Civil work				605.250		1462.100		1224.150		1515.560		4807.060
		% of Civil works				32.03		39.34		28.74		28.99		31.85
		Total of Management				44.402		41.508		47.544		47.544		180.998
		% of Management				2.35		1.12		1.12		0.91		1.20

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

CT: UDAIPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium of Additional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	51646	436.409		0.000	51646	436.409
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	102	51.000		0.000	102	51.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	102	91.800	0	0.000	102	91.800
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	48	57.600	150	180.000	198	237.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	102	64.260	0	0.000	102	64.260
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	96	80.640	348	292.320	444	372.960
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120.000		0.000	100	120.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	30	15.000		0.000	30	15.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC ST Boys	Child	0.001	20000	20.000		0.000	20000	20.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	40	144.000		0.000	40	144.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000		0.000	100	10.000
	6.4	Handpump Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	55	11.000		0.000	55	11.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000		0.000	40	8.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	6	36.000		0.000	6	36.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	75	150.000		0.000	75	150.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000		0.000	20	5.000
	6.11	Provison of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000		0.000	100	25.000
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	1623	81.150		0.000	1623	81.150
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	633	31.650		0.000	633	31.650
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	175	17.500		0.000	175	17.500
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	175	110.250	175	110.250	350	220.500
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	175	147.000	175	147.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	175	0.135	0	0.000	175	0.135
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000	175	35.700	175	35.700
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	1623	32.460	0	0.000	1623	32.460
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	633	12.660	0	0.000	633	12.660
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	5056	25.280	525		5581	25.280
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	4648	23.240	498	2.490	5146	25.730
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	4881	0.000	350		5231	0.000

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

CT: UDAIPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	4648	0.000	498	6.972	5146	6.972
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (o0 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	175	3.675	175	3.675	350	7.350
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	5064	3.038	0	0.000	5064	3.038
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	2029	0.000		0.000	2029	0.000
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	1623	22.722	0	0.000	1623	22.722
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	633	0.000	0	0.000	633	0.000
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Assit. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080		0.000	2	4.080
	17.1.3	Programme Assit. (3)	Number	1.44	3	4.320		0.000	3	4.320
	17.1.4	Salary of Assit. Engg. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	1	1.200		0.000	1	1.200
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600		0.000	1	0.600
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440		0.000	3	1.440
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612		0.000	2	0.612
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	2.000		0.000	1	2.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

CT: UDAIPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Engg.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant Junior Accountant	Number	1.08	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	11	9.350		0.000	11	9.350
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	11	1.320		0.000	11	1.320
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	11	1.100		0.000	11	1.100
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	11	9.240		0.000	11	9.240
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	11	1.375		0.000	11	1.375
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	11	0.660		0.000	11	0.660
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	11	0.550		0.000	11	0.550
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	75	7.500		0.000	75	7.500
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	75	1.875		0.000	75	1.875
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	75	1.800		0.000	75	1.800
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	75	0.750		0.000	75	0.750
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	4500	0.000		0.000	4500	0.000
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	School	0.01	633	0.000	0	0.000	633	0.000
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	498	9.960		0.000	498	9.960
		Grand Total				**1889.791**		**778.407**		**2668.198**
		Total of Civil work				605.250		0.000		605.250
		% of Civil works				32.03		0.00		22.68
		Total of Management				44.402		0.000		44.402
		% of Management				2.35		0.00		1.66